GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

आदिवासी समुदायों के संघर्ष एवं शोषण का वृतांत : ग्लोबल गांव के देवता

डॉ. पूनम प्रजापति

असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, हिंदी विभाग,
श्रीमती आर.डी.शाह आर्ट्स एण्ड
श्रीमती वी.डी.शाह कॉमर्स कॉलेज
धोलका- 382225 (अहमदाबाद)
चलभाष- 9904064493
drpoonam.prajapati85@gmail.com

सारांश

समसामयिक भूमंडलीकरण एवं औद्योगिकरण अपने चरम पर है, जिसने विश्व को ही एक बाजार बना दिया है। इससे आर्थिक विकास और समृद्धि में वृद्धि हुई है। इस आधुनिक संकल्पना ने न केवल मानव जीवन पर, अपितु पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव डाला है। इसने आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है लेकिन साथ ही असमानता, सांस्कृतिक पतन और पर्यावरणीय चिंताओं को भी जन्म दिया है। भारतीय परिपेक्ष्य में आज भी ऐसी अनेक जनजातियाँ हैं जिन्हें बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं और उन्हें मानव विकास का हवाला देखकर अपने ही अधिकारों से वंचित किया जाता है। भूमंडलीकरण ने आदिवासी समुदायों के जल, जंगल, जमीन और जीवन पर संकट उत्पन्न किया है, जो आज भी अपने अधिकारों की रक्षा, अपने अस्तित्व एवं अस्मिता को बचाने के लिए प्रयासरत है। आदिवासी समुदायों के संघर्ष और शोषण की गाथा से हिंदी साहित्य भी अछूता नहीं है। आदिवासी विमर्श पर अनेक साहित्यिक रचनाएं रची गई हैं जिसमें हिंदी साहित्यकार रणेंद्र ने अपने उपन्यास 'ग्लोबल गांव के देवता' में झारखंड के असुर आदिवासी समुदायों के संघर्ष, शोषण और प्रतिक्रिया की कथावस्तु से भूमंडलीकरण जैसे गंभीर मुद्दे पर आलोचना की है। यह उपन्यास झारखंड के असुर आदिवासी समुदायों के अनवरत जीवन संघर्ष का दस्तावेज है। इस उपन्यास को माध्यम बनाकर भूमंडलीकरण की नीतियों के कारणआदिवासी समुदायों के संघर्ष एवं शोषण के वृतांत को उजागर करने का प्रयास किया गया है ।

बीज शब्द : *भूमंडलीकरण, औद्योगिकीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य, भू-राजनीति, संघर्ष, वृतांत, आदिवासी समुदाय, शोषण, बाहुल्य संस्कृति, विस्थापन, अस्मिता, अभिन्न अंग , बेदखल, स्वायतत्ता, पूँजीपति वर्ग, जंगल, जमीन, आन्दोलन, विद्रोह*

मूल लेख

भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहे तो यह विविधता से भरा देश है, जहाँ अनेक धर्म, भाषा, जाति और समुदाय के लोग मिल-जुलकर रहते हैं। इन्हीं में से एक है आदिवासी समुदाय। आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है- 'आदि' का अर्थ है 'पहले से' और 'वासी' का अर्थ है 'निवासी'। आदिवासियों की अस्मिता उनके नाम की परिभाषा से ही निहित होती है-"देश के मूल निवासी माने जाने वाले आदिम समुदाय"। यह जाति जल, जंगल, ज़मीन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हैं और उनकी सामूहिक संरचना और जीवनयापन के ये अभिन्न अंग है। आदिवासी समुदाय अपनी बाहुल्य संस्कृति, भाषा, लिपि, चित्रलिपि, धर्म, रहन-सहन एवं मानवीय मूल्य हर रूप में समृद्ध है, फिर भी अपनी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्षरत है। भारतीय समाज का अभिन्न अंग होने के बावजूद आदिवासी समुदायों के लोगों के असभ्य, बर्बर, हिंसक तथा जंगली समझकर मुख्यधारा से सामंजस्य स्थापित नहीं करने दिया जाता।आदिवासियों को अपने अस्तित्व के लिए कभी कोल विद्रोह(1831), कभी मुंडा विद्रोह (1900), तो कभी ब्रिटिश सेना-जमींदार और सामंतियों की क्रूर नीतियों के खिलाफ़ संथाल विद्रोह (1855) कर अपनी अस्मिता के लिए लड़ना पड़ा । भारत में झारखण्ड दलितों का निवासस्थान है, जो शोषित की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। झारखण्ड की स्वायतत्ता एवं कल्पना का मूल उत्प्रेरक आदिवासी जातियाँ हैं जिनके आंदोलनों का मुख्य कारण वहाँ की जातियाँ जो समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक धार्मिक तथा क्षेत्रीय शोषण की शिकार है। झारखण्ड की प्रमुख जनजातियों में संथाल, मुंडा, उराँव, हो, खड़िया, असुर, खरवार, करमाली, बेदिया, खांड आदि है। आज भी देश के दस पिछड़े जिलों में से छह जिले झारखण्ड के हैं। इन इलाकों ने विकास के पूँजीवादी अवधारणा के दंश को झेला है। झारखण्ड एन्साइक्लोपीडिया खंड-1 का यह कथन उसकी पुष्टि करता है-"झारखण्ड के निवासी एक सुनियोजित और क्रमिक योजना के तहत अपनी जीविका के साधनों के स्वामित्व से, अपने श्रम के उत्पादों से और अपने मानवीय अस्तित्व के अवसरों से ही बेदखल किए जा रहे हैं। उनकी राजनीतिक स्वायतत्ता छिनी जा रही है और उनकी सामुदायिकता को विकास और राष्ट्रहित के नाम पर खंड-खंड, छिन्न-भिन्न किया जा रहा है। सुनियोजित नीतियों के तहत एकात्मता, आत्मसातकरण, राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने के नाम पर उन्हें अपनी संस्कृतियों, अपने मूल्यों और अपनी पहचानों से वंचित किया जा रहा है।"[1]

रणेंद्र आदिवासी बाहुल्य राज्य झारखण्ड से विशेष संबंध रखते हैं इसीलिए उन लीगों की संस्कृति, सभ्यता और संघर्ष को करीब

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

से देखा है। यहीं नहीं, वे भूमंडलीकरण और पूँजीवादी अवधारणा के अन्वेषक हैं। अपने इस अनुभवजगत के साथ उन्होंने हिंदी साहित्यजगत में पदार्पण किया। उनके द्वारा रचित 'ग्लोबल गाँव के देवता' असुर आदिवासी समुदायों के सुख-दुःख को व्यक्त करता झारखण्ड की भूमि से उपजा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास ने अपने कलेवर में असुर आदिवासी जीवन के तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को समेट रखा है। इसमें असुर आदिवासी समुदायों के जीवन का संतृप्त सारांश है। यह देवराज इन्द्र से लेकर ग्लोबल गाँव के व्यापारियों तक फैले शोषण एवं धातु की खोज करने वाली, धातु को पिघलाकर आकार देनेवाली असुर आदिवासी जनजाति के संघर्ष की अत्यंत संवेदनशील और प्रमाणिक स्थिति का हृदयद्रावक दस्तावेज है।

- प्रयोजन

प्रस्तुत अध्ययन भारतीय भू-राजनीति, उसकी पूंजीवादी अवधारणा और भूमंडलीकरण के सन्दर्भ में आदिवासी समुदायों के संघर्ष एवं शोषण का वृतांत है। इसमें निम्नलिखित प्रयोजन निहित है-

- आदिवासी समुदायों की संस्कृति, सभ्यता और मान्यताओं का संक्षिप्त विवरण करना
- 'ग्लोबल गाँव के देवता' उपन्यास के आधार पर असुर आदिवासी समुदाय के संघर्ष और शोषण के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना
- आदिवासी समुदायों पर भूमंडलीकरण और भू-राजनीति की नीतियों के प्रभाव और दुष्प्रभाव का अध्ययन करना
- आदिवासी समुदायों द्वारा अपनी अस्मिता के रक्षण हेतु किये गए विभिन्न आंदोलनों को जानना
- आदिवासी समाज द्वारा किये गए आन्दोलनों में सतत मिलती असफलता पर उनकी विभन्न परिस्थितियों को जानना

आदिवासी जनजातियां प्रकृति पूजक होती है इसलिए प्रकृति उसका परिवेश भी है और उद्दीपन भी है। जय जंगल जमीन से जुड़े यह लोग प्रकृति का सर्वप्रथम देते हैं। समझ आए जंगलों तथा पहाड़ों में रहते हैं। उनके नृत्य, संगीत, गृह, शिक्षा त्यौहार, मनोरंजन एवं कलाभिरुचि को संवारने का काम भी प्रकृति ही करती है। आदिवासी जनजातीय सामूहिक जीवन में विश्वास रखते हैं और वह एक दूसरे का सहयोग व समर्थन करते हैं जिससे उनकी सामाजिक सद्भावना गहरी होती है। प्रकृति के साथ गहरा संबंध होने के कारण वे पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं। ये समुदाय के लोगों की धार्मिक मान्यताएं प्रकृति और पूर्वजों से जुड़ी होती हैं। वे अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं। आदिवासी भाषाओं में संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि गोंडी दूसरे स्थान पर है। उनकी अपने विशिष्ट भाषाएं हैं। झारखंड के आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का अपना विस्तृत मौखिक साहित्य रहा है। नृत्य उनके रीति रिवाज़ो और संस्कृति का अभिन्न अंग हैं और वह उनके सामूहिक ज्ञान व् बुद्धिमत्ता का भंडार है। उनकी सांस्कृतिक विविधता के चलते कहा जा सकता है कि आदिवासी संस्कृति बहुत है समृद्ध है,जिसे संरक्षित कर बढ़ावा देने की आवश्यकता है। रामदयाल मुंडा ने अपनी पुस्तक में संस्कृत के उपलक्ष्य में स्पष्ट रूप से लिखा है-"किसी समुदाय की संस्कृति उसके जीवन के पूरे दायरे (देशकाल) में अर्जित मूल्य बोध की पूंजी है और उसके पहचान(अस्मिता) के संकट का सवाल तब आता है जब वह देखता है कि उस पर आक्रमण हो रहे हैं, तब उसकी पहचान विघटित होने का भय उसे आतंकित करता है।"[2]

ये भय आज भी संपूर्ण आदिवासी समुदायों में व्याप्त है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के इस दौर में विकास के नाम पर आदिवासियों को उनकी ही जन्मभूमि को मुफ़्त के दाम में बेचने को मजबूर किया जा रहा है। उसके अस्तित्व के रक्षकों को ही जल,जंगल, जमीन से बेदखल किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर पर्यावरण के सबसे बड़े रक्षक को ही विस्थापित करने की साजिश रचित जा रही है।अशिक्षित एवं संवेदनशील आदिवासियों से जमीन रेहन पर रखवाना, पट्टे के नाम पर बेनामी हस्ताक्षर एवं झूठे अधिकार पत्र बनाना, आदिवासियों के हक़ की कई एकड़ जमीन पूंजीपतियों के हाथ में होना, उनके अधिकार की जमीन पर बड़े MNC मॉल या शॉपिंग कॉम्पलेक्स खड़े किए जा रहे हैं और फ़िर उन्हें ही कम वेतन देकर मजदूर बनाया जा रहा है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के कथा केंद्र में झारखंड के कीकट क्षेत्र के असुर आदिवासी हैं। उपन्यासकार यहां दो देवताओं का उल्लेख करते हैं वेदांग और टाटा, जो जाति के विनाशक बनकर आते हैं। यहां वेदांग एक विदेशी कंपनी का नाम है, इन्होंने औजार बनाना शुरु कर दिया जिससे आदिवासियों की रोज़ी रोटी छीन गई उनके गले हेलो से बने औजारों की मांग बंद हो गई। उनके गलाएं हुए लोह से बने औजारों की मांग बंद हो गई। उपन्यास यह भी चित्रित करता है कि आदिवासियों की भूमि को हड़पने के लिए सरकारी तंत्र और पूंजीपति वर्ग किस प्रकार से षड्यंत्र रचते हैं। जब भी अपनी ज़मीन के लिए वे आवाज़ उठाते हैं तो उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं।

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि आदिवासी समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के नाम पर उन्हें उनकी ही जड़ों से काट दिया जाए। उनको उनके ही घरों से बेघर करके उचित मुआवजा भी नहीं दिया जाता। उनकी ही ज़मीन से कोयला, खनिज निकालकर उन्हें गड्ढे दिए जाते हैं, जिनसे उत्पन्न अनेक बीमारियोंने उनके स्वास्थ्य को तहस नहस कर दिया है। विकास के नाम पर बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ मुनाफ़ा कमाने की दौड़ में आदिवासी गाँवों में शीघ्र गति से खनन कार्य में लगी है, जिनसे उनके स्वास्थ्य पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है रणेंद्र जी ने उनकी यह व्यथा का वर्णन इस प्रकार किया है- "पिछले 25-30सालों में खान मालिकों ने जो बड़े-बड़े गड्ढे छोड़े हैं, बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, मच्छर पलते हैं, महामारी फैलती है, लोग मरते हैं।[3]

नए काम सिखाने के बदले या शिक्षा व सही निर्देश के अभाव में बार-बार उन्हें जलील किया जाता है। भूमंडलीकरण और भू राजनीति न सिर्फ़ प्रकृति को अपितु प्रकृति रक्षक आदिवासी समुदाय को पूर्ण से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उपन्यास में रुमझुम पात्र द्वारा प्रधानमंत्री महोदय को लिखे गए पत्र में उसकी भयावह हकीकत देखिए-"महोदय शायद आपको फटा हो कि हम असुर अब सिर्फ़ आठ नौ हजार ही बचे हैं। हम बहुत डर हुए हैं। हम खत्म नहीं होना चाहते। भेड़िया अभ्यारण से कीमती भेड़िए जरूर बच जाएंगे श्रीमान किंतु हमारी जाति नष्ट हो जाएगी।"[4]

झारखंड प्राकृतिक खनिज पदार्थ से भरा क्षेत्र हैं । सरकार व पूंजीपति वर्ग का लक्ष्य वहां के खनिज हैं, जिससे आदिवासी समुदायों की जटिल समस्या विस्थापन की है। आदिवासी समुदाय उस क्षेत्र से पलायन कर जाएं तो उनका हनन कार्य निर्बाध रुप से चलता रहे, यही उनके प्रयत्न हैं। इस संदर्भ में उपन्यास में दिया यह कथन उसकी पुष्टि करता है-"छाती ठोंक-ठोंककर अपने को अत्यंत सहिष्णु और उदार कहनेवाली हिन्दुस्तानी संस्कृति ने असुरों के लिए इतनी भी जगह नहीं छोड़ी थी। वे उनके लिए बस मिथकों में

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

शेष थे। कोई साहित्य नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई अजायबघर नहीं। विनाश की कहानियों के कहीं कोई संकेत मात्र भी नहीं ।"[5]

गरीबी और अशिक्षा के कारण आदिवासी महिलाएँ उस क्षेत्र की स्थानिक कम्पनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों पर काम करने के लिए विवश होती है। पूँजीपति लोग उनकी विवशता का फ़ायदा उठाकर उनके शरीर पर भी अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। इस अंधकारमय जीवन से इन निरीह महिलाओं की मुक्ति संभव नहीं। विस्थापन, पलायन और औद्योगिकीकरण की सबसे ज्यादा मार आदिवासी महिलाओं को ही भोगनी पड़ी है, ये महिलाएँ हर रूप से उत्पीड़ित है। आदिवासी समाज की शिक्षा की चिंता भी रणेंद्र के उपन्यास 'ग्लोबल गाँव के देवता' में देखि जा सकती है। शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है। आदिवासी समाज के विकास के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, जो एक चुनौती भरा कार्य है। उनकी भाषा, लिपि को लेकर तो उनके रहन-सहन को लेकर वे मुख्यधारा की शिक्षा-नीति एवं स्कूलों से मेल नहीं खाते। उनके बसेरे के आसपास कोई स्कूल होती नहीं है और यदि हो तो भी पर्याप्त मात्र में शिक्षक नहीं होते। कभी तो उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देने के बदले उन्हें हीन भावना से ग्रसित कर दिया जाता है। उपन्यास में रणेंद्र जी बताते हैं कि असुरों के सौ से ज्यादा घर उजाड़कर स्कूल बनाया गया था लेकिन पिछले तीस वर्षों का रजिस्टर उठाकर देखें तो एक भी आदिम जाति परिवार के बच्चे ने उस स्कूल में पढाई नहीं की। इसका मुख्य कारण पूँजीपति लोगों का उनके प्रति बर्ताव और मानसिकता है। इन्हीं सब प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण शिक्षा के प्रति आदिवासी समुदाय के नज़रिये को देखा जा सकता है- "माड़-भात खिलाकर, अधपढ़-अनपढ़ शिक्षकों के भरोसे, फुसलाकर हमारे बच्चे ज्यादा-से-ज्यादा स्किल्ड लेबर, पिऊन, क्लर्क बनेंगे, और क्या? यही हमारी औकात है। हमारी ही छाती पर ताजमहल जैसा स्कूल खड़ा कर हमारी हैसियत समझाना चाहते हैं लोग।"[6] इस प्रकार यह समाज अनपढ़ होकर भी पूँजीपति वर्ग और सरकार की नीतियों से भलीभांति अवगत है और उनको ठगने के प्रयासों को भी जानते ही है।

विकास के नाम पर भूमंडलीकरण ने भारत की एक बड़ी आबादी को विनाश की ओर धकेल दिया है। जंगलों को काटकर ऊँची-ऊँची इमारतें बनाना, खनिजों को निकालकर गहरे गड्ढे छोड़ना और सीमा से अधिक उपभोग करना, बड़े-बड़े बाँधों का निर्माण करना, विकास और सुविधा देने के नाम पर उनको उनकी ही जमीन से विस्थापित करना यह आदिवासी समुदायों के जीवन को और संकट में डालने का काम हैं। लेकिन आदिवासी समुदायों ने भी जमीन से बेदखली, विस्थापन, अशिक्षा, अधिकारों हा हनन, महिलाओं का शोषण, सामाजिक भेदभाव, गरीबी और स्वास्थ्य सबंधित हो रहे अन्यायों के प्रतिकार रूप और अपनी अस्मिता के रक्षण हेतु समय-समय पर आंदोलनों के माध्यम से विद्रोह भी किये हैं।

ब्रिटिश शासन के दौरान एवं स्वतंत्रता से लेकर अब तक विभिन्न मुद्दों पर उनके आंदोलनों में अपनी भूमि, जंगल और सांस्कृतिक पहचान बचाने की लड़ाई शामिल है। इनके द्वारा किये गए संघर्ष की अपनी परम्परा रही है और सामाजिक स्वरुप की कल्पना भी।

- 1783 में चेरों जनजाति ने स्थानीय जमींदारों और ईस्ट इंडिया कम्पनी शासन के खिलाफ़ आन्दोलन किया, जो शोषण और उत्पीडन के खिलाफ़ विद्रोह था।
- 1789 में उराँव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के विरोध विद्रोह किया, जो वास्तव में जमीन की रक्षा का आन्दोलन था।
- 1820-21 में हो जनजाति ने आन्दोलन किया जो अपने जीवन की काया सुधारने व् बदलने का संगठित संघर्ष था।
- 1831-32 हो, उराँव और मुंडा जनजाति ने खेती और शिकार के अपने अधिकार के लिए तथा भूमि-व्यवस्था के खिलाफ़ जबरदस्त विद्रोह किया।
- 1855-56 संथाल विद्रोह सूदखोरी, जमीदारों, अंग्रेज बागान मालिकों के खिलाफ़ बचाव करनेवाले अंग्रेज अधिकारियों के अत्याचारों के खिलाफ़ किया गया आन्दोलन था।
- 1885-1901 तक मुंडो जनजाति के नायक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मिशनरियों, ब्रिटिश अधिकारियों और बाहरी लोगों के खिलाफ ऐतिहासिक जनसंघर्ष हुआ था।
- 1914-1919 ताना भगत आन्दोलन जत्रा उराँव के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाधीनता-संग्राम की धरा के साथ जुड़कर कृषि व्यवस्था को बदलने के लिए हुआ था।

उपर्युक्त सभी आंदोलनों और संघर्षों में अपनी जमीं की रक्षा, सरकारी अधिकारियों से मुक्ति पाना और अपनी संस्कृति की अस्मिता को बचाना रहा। आदिवासी समुदायों के आंदोलनों पर ये कथा देखिये- "वे अपनी जिंदगी को बदलना चाहते थे और उसी के लिए शोषण-उत्पीड़न से मुक्त समाज चाहते थे। उन्हें सफ़लता नहीं मिली, क्योंकि उनका संघर्ष एक तो अपने ही समुदाय तक सिमित रह जाता था, दूसरे स्थानीयता से आगे नहीं बढ़ सका जबकि उनके खिलाफ अंग्रेजी शासन था यानी ब्रिटिश साम्राज्य। संघर्ष के नायकों की आकांक्षा आदमी थी लेकिन दुर्दमनीय सत्ता से उनका टकराव था। इस अनमेल टकराव में विद्रोहों और संघर्षों को पराजित होना पड़ा।"[7]

स्वतंत्रता बाद भी आदिवासी समुदायों द्वारा जल, जमीं और जंगल के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और स्वायत्तता की मांग के लिए झारखण्ड आन्दोलन, नक्सलवादी आन्दोलन, पत्थलगड़ी आन्दोलन आदि महत्वपूर्ण विद्रोह हुए और अपने अस्तित्व और अस्मिता के लिए ये संघर्ष लगातार जारी है। उनकी आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियाँ छिन्न-भिन्न हो रही है। उनका मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है साथ ही उनमें रोगों तथा भावनात्मक विकृतियों की प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही है। इसी के चलते आज-कल आदिवासी समाज मद्यपान, आत्महत्या, अपराध, व्यभिचार, अवसाद, वेश्यावृत्ति और सामाजिक विकृतियों के सूचक दिखने लगे हैं। जब प्रभावशाली वर्ग उनकी संस्कृति के प्रति नकारात्मक रवैया दिखाता है तब उनकी भावनाएँ और तीव्र हो उठती है।

निष्कर्ष

विकासोन्मुख राष्ट्रों के लिए भूमंडलीकरण और तकनीकी विकास प्रगति की ओर सफल और
सार्थक कदम अवश्य है लेकिन भारत में बाहरी तत्वों की घुसपैठ आसान हो जाने से आदिवासी समाज वैश्विक स्तर पर पूँजीवाद

https://www.gapbhasha.org/

और नव साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ रहा है। रणेंद्र द्वारा रचित उपन्यास 'ग्लोबल गाँव के देवता' में आदिवासी जीवन को भूमंडलीकरण के चलते जो संघर्ष व् उत्पीडन को झेलना पड़ रहा है उनके शोषण के साथ उनके प्रतिरोध के स्वर का दस्तावेज है। इस उपन्यास में आदिवासी जीवन पर हावी होते शोषण और मुक्ति के संघर्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उपन्यास को आधार बनाकर पूरे भारतीय आदिवासी समाज के संघर्ष, व्यथा, उत्पीड़न, शोषण व् अधिकारों के रक्षण की स्पष्ट झलक मिलती है। आदिवासी समाज न केवल अपने अधिकारों के लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि और मनुष्यता के लिए संघर्षरत है।

सन्दर्भ सूची

[1] 'झारखण्ड एन्साइक्लोपीडिया खंड-1', हुलगुलानों की प्रतिध्वनियाँ, सं. रणेंद्र-सुधीर पाल, वाणी प्रकाशन-2008, नई दिल्ली, पृष्ठ क्रमांक-70
[2] 'आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता', रामदयाल मुंडा, प्रकाश संस्थान 2002, पृष्ठ क्रमांक-29
[3] 'ग्लोबल गाँव के देवता',रणेंद्र, प्रथम संस्करण, प्रकाशक: भारतीय ज्ञानपीठ-2009, पृष्ठ क्रमांक-34
[4] 'ग्लोबल गाँव के देवता',रणेंद्र, प्रथम संस्करण, प्रकाशक: भारतीय ज्ञानपीठ-2009, पृष्ठ क्रमांक-84
[5] 'ग्लोबल गाँव के देवता',रणेंद्र, प्रथम संस्करण, प्रकाशक: भारतीय ज्ञानपीठ-2009, पृष्ठ क्रमांक-33
[6] 'ग्लोबल गाँव के देवता',रणेंद्र, प्रथम संस्करण, प्रकाशक: भारतीय ज्ञानपीठ-2009, पृष्ठ क्रमांक-19
[7] 'झारखण्ड एन्साइक्लोपीडिया खंड-3', श्वेत श्याम तसवीर, सं. रणेंद्र-सुधीर पाल, वाणी प्रकाशन-2008, नई दिल्ली, पृष्ठ क्रमांक-411

वेबसाइट
[1] https://www.nextias.com/blog/tribal-uprisings/
[2] https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9D%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%82%E0%A4%A1_%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%A8

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में माहिलाओ की सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का अध्ययन

शिव बार्चे, डॉ. दीपक गर्ग

(शोधार्थी)
रबिन्द्रनाथ टैगोर विश्वविध्यालय, भोपाल (म.प्र.)

(शोध निर्देशक)
रबिन्द्रनाथ टैगोर विश्वविध्यालय, भोपाल (म.प्र.)

प्रस्तावना

महिलाएं शासकीय और अशासकीय संस्थाओं में अपनी मेहनत और समर्पण से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कई सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इन समस्याओं का प्रभाव उनके कामकाजी जीवन और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। आज की आर्थिक कठिनाईयों की वजह से विवाहित महिलाओं द्वारा नौकरी करने से सामाजिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है अब अधिकांश पति चाहते हैं कि उनकी पत्नियां भी नौकरी करें। वर्तमान समय की कमरतोड़ मँहगाई और आधुनिकता की दौड़ में कार्यकारी महिलाओं की स्थिति दो नांव में एक साथ पैर रखने के समान है, जिसका संतुलन बनाए रखने के लिए महिलायें निरंतर प्रयत्नशील हैं। अतः महिलाओं के लिए परिवार और नौकरी का सही संतुलन जोखिम भरी चुनौती है जिसे उसने हसकर स्वीकारा और सफलता के साथ निभा रही हैं ऊषा मल्होत्रा के अनुसार "घर और बाहर का संतुलन आवश्यक है" इसमें दो राय नहीं हैं कि वर्तमान भौतिकवादी एवं सामाजिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन आया हैं इस परिवर्तन में संतुलन बनाए रखने के लिए महिलाओं ने दोहरी भूमिका स्वीकारी हैं चाहे इस दोहरी भूमिका के कारण महिलाओं को किन्हीं भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हो, किन्तु फिर भी वह कार्यकारी होना ही पसंद करती हैं, क्योंकि आज सामाजिक जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उससे लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है जिससे खान-पान, रहन-सहन, पहनावा जीवन शैली मे परिवर्तन हुआ साथ ही मानसिक सोच में भी परिवर्तन आया है, आवश्यकताऐं भी बढ़ी हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरूष के साथ महिलाओं का कार्यकारी होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

हमारा समाज मूल रूप से पुरूष प्रधान रहा है। पहले महिलाओं के पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता न होने के कारण उसकी सामाजिक व पारिवारिक स्थिति एक पराश्रित से अधिक नहीं थी। जिसे हर कदम पर एक पुरूष के सहारे की जरूरत होती थी। वैसे तो आजादी के बाद से ही महिला उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किये जाते रहें है। लेकिन पिछले कुछ वर्षो में महिला सशक्तिकरण की कार्य में तेजी आयी है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिलाओं के आत्म विश्वास में बढ़ोत्तरी हुई है। वे किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करने लगी है। एक ओर जहाँ केन्द्र व राज्यों की सरकारें महिला उत्थान की नई-नई योजनायें बनाने लगीं है। वहीं कई गैर सरकारी संगठन भी उनके अधिकारों के लिये उनकी आवाज बुलन्द करने लगें है। महिला में ऐसी प्रबल भावना को उजागर करने का प्रयास भी किया जा रहा है, कि वह अपने अन्दर छिपी ताकत को सामने लाकर बिना किसी सहारे के आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकें।

सृष्टि की उत्पत्ति एवं सभ्यता के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। पुराणों के अनुसार चाहे धर्म की रक्षा हो या उसकी पुर्नस्थापना इन सभी कार्यो को आदि शक्ति माँ जगदम्बा ने ही पूर्ण किया है। सीता, सावित्री के धर्मपालन को आज भी आदर्श के रूप में समाज में माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, मदरटेरेसा के वीरता बलिदान तथा सेवा की मिशालें आज भी हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करती है। महिलाएँ समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं।

https://www.gapbhasha.org/

महिलाए कई रूपों में जीवन व्यतीत करते हुए एक सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज की निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह कभी बेटी के रूप में कभी बहन के रूप में तो कभी पत्नी एवं प्रेमिका के रूप में कभी माँ के रूप में समाज को विकसित एवं परिमार्जित करने का अथक प्रयास करती रहती है।

शासकीय और अशासकीय संस्थानों में सेवारत विवाहित तथा अविवाहित महिलाएं सम्मिलित हैं। अध्ययन के दौरान इन महिलाओं में शोधार्थी को गहरे कर्तव्य बोध और मातृत्व के दर्शन हुए हैं, अध्ययन में पाया कि कार्यकारी महिलाएं अन्य गृहस्थ महिलाओं से कहीं अधिक अपने शिशुओं के पालन पोषण में सफल एवं समर्थ हैं। इसके साथ ही अपने दायित्वों के निर्वाह में सजग एवं जागरूक दिखाई दीं, जैसे कार्यालय में समय पर उपस्थिति होना, अपने कार्य को जिम्मेदारीपूर्वक उचित ढ़ंग से निपटाना तथा समय पर घर लौटना आदि। महिलाओं का घर से बाहर पुरूषों के समान कार्य करने से उनके पारिवारिक दायित्वों में हुये परिवर्तन एवं शिक्षक तथा गृहिणी की भूमिका के उत्तरदायित्वों के सफलतापूर्वक निर्वाह में महिलाओं को होने वाली समस्याओं से अवगत होने के लिए वर्तमान सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन महत्वपूर्ण है। महिलाएं घर-परिवार और नौकरी पेशा की दोहरी भूमिका निभाते हुए दोहरी माँगों व तनावों के कारण परस्पर पारिवारिक विसंगतियों का सामना कर रही हैं, जिसका प्रभाव उनकी नौकरी से सम्बद्ध दायित्वों व कर्तव्यों पर भी पड़ता है।

समाज की प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करने में महिलाए पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती है। समाज में विकास में सहभागिता का जो सम्मान उन्हें प्राप्त होना चाहिए था वह नही मिल पाया है। क्योंकि इस सभ्य समाज में पुरूषवर्ग का वर्चस्व विद्यमान है। पुरूष वर्ग हर क्षेत्र में महिलाओं के सहयोग से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते है लेकिन जब सम्मान एवं अधिकार की बात आती है तो महिलाए पुरूषों से कहीं पीछे छूट जाती है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य -

सामाजिक शोध का सबसे महत्वपूर्ण चरण उद्देश्य निर्धारण है। मेरे अनुसंधान का उद्देश्य नौकरी करने वाली शिक्षित महिलाओं की समस्याएँ तक सीमित नही है बल्कि भावनात्मक अभिव्यक्ति की जानकारी भी प्राप्त करना है। इस शोध के उद्देश्य निम्न है।

- शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक समस्याओं को जानना।
- शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं की पारिवारिक समस्याओं को जानना।
- परिवार की विविध इकाइयों जैसे पति-पत्नी, माता-पिता व बच्चों के संबंधो तथा भूमिकाओं मे हो रहे परिवर्तनों को जानना।
- नौकरी करने वाली महिलाओं के संबंध में समाज की अभिवृतियों को जानना।

प्रस्तुत शोध से संबंधित परिकल्पना

- विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत माहिलाओं में व्यावसायिक तनाव पाया जाता है।
- सरकारी नौकरियों एवं निजी नौकरियों में महिलाओं का पूरूषों के मुकाबले कम मुल्यांकन किया जाता है।
- वेतन, काम की जिम्मेदारी, तरक्की मे महिलाओं का पूरूषों से आगे नही बढ़ पाना।
- शासकीय संस्थाओ को छोड़कर महिलाओं को पूरूषों के कार्य के अनुसार पारिश्रमिक नहीं मिलता है।
- महिलाओं द्वारा पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण कार्यस्थल पर पद को त्याग कर दिया जाता है।
- नौकरी के कारण पारिवारिक विघटन होता है।

परिकल्पना 1: विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं में व्यावसायिक तनाव पाया जाता है।

1. आप अपने कार्यस्थल पर कार्यभार से मानसिक दबाव महसूस करती हैं।
2. आपकी नौकरी आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है।
3. आप थकान या नींद की कमी के कारण तनाव महसूस करती हैं।
4. कार्य समय के दबाव के कारण आप चिंता में रहती हैं।

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

Z-Test द्वारा परिकल्पना 1 के परिणाम का विश्लेषण

उक्त परिकल्पना की पुष्टि के लिए, एक तुलनात्मक Z-Test (z-परीक्षण) का प्रयोग किया गया। इस परीक्षण में दो स्वतंत्र समूहों — सरकारी संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं तथा अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं — के उत्तरों के औसत स्कोर का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया। चूँकि यह परिकल्पना चार प्रश्नों पर आधारित थी, अतः इन चारों प्रश्नों के उत्तरों को जोड़कर एक समग्र स्कोर तैयार किया गया और प्रत्येक प्रतिभागी के लिए "Total Stress Score" की गणना की गई। इसके पश्चात Mean (औसत), Standard Deviation (मानक विचलन) एवं Sample Size (नमूना आकार) के आधार पर दो-नमूना Z-Test लागू किया गया।

Z-Test आँकड़े:

मानदंड	सरकारी समूह	अशासकीय समूह
Mean (औसत)	2.00667	3.6
Std. Deviation	1.84462	0.95538
Sample Size (n)	150	150

Z-Test निष्कर्ष:

Z Value	P Value	निष्कर्ष
-9.39	< 0.0001	सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर

अर्थपूर्ण व्याख्या:

✓ प्राप्त Z-मूल्य -9.39 है, जो अत्यधिक उच्च परिमाण को दर्शाता है।

✓ P-मूल्य 0.0001 से भी कम है, जो यह संकेत करता है कि दोनों समूहों के मध्य उत्तरों में पाया गया अंतर मात्र संयोग नहीं है, बल्कि सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

✓ यह परिणाम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सरकारी एवं अशासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं की प्रतिक्रिया में वास्तविक अंतर मौजूद है।

निष्कर्ष (Conclusion):

इस प्रकार, शोध की यह परिकल्पना प्रमाणित होती है कि —" शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के मध्य इस विषय से संबंधित चार प्रश्नों पर दिए गए उत्तरों में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। अतः यह परिकल्पना प्रमाणित होती है।"

संदर्भ सूची

1. डॉ. भारती लक्ष्मीना, 2015: भारत में महिला एवं बाल कल्याण, निखिल पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा।
2. डॉ. शर्मा प्रभुदत्त, 2013: नारी, अनु प्रकाशन जयपुर।
3. डॉ. कुमार आदर्श, 2011: महिला विकास कार्यक्रम, खुशी पब्लिकेशन गाजियाबाद।
4. शर्मा सुनिता, 2008: अपराधी महिलाए और समाज, राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली।

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रशासनिक अभिलेखों का डिजिटल संरक्षण: संकटग्रस्त क्षेत्रों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की संभावनाएँ

डॉ. रेणु शरण, शालिनी सोनी

निर्देशक
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग
डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश (Abstract) –

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) नागरिकों को सरकारी संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक सहभागिता को प्रोत्साहन मिलता है। संकटग्रस्त और दूरस्थ क्षेत्रों में सूचना तक पहुँच की कमी, कागज़ी अभिलेखों के नष्ट होने का खतरा, और भ्रष्टाचार की संभावनाएँ अधिक रहती हैं। इस संदर्भ में डिजिटल अभिलेखीकरण एक प्रभावी उपकरण के रूप में उभरता है, जो न केवल सूचना के संरक्षण बल्कि उसके समय पर सार्वजनिक वितरण में भी सहायक है।

यह शोध-पत्र इस बात का विश्लेषण करता है कि किस प्रकार डिजिटल अभिलेखीकरण को RTI अधिनियम के साथ एकीकृत करके, विशेषकर संकटग्रस्त क्षेत्रों में, प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ाया जा सकता है। RTI के तहत मांगी जाने वाली सूचनाएँ—जैसे भूमि अभिलेख, वित्तीय व्यय विवरण, योजनाओं का क्रियान्वयन डेटा, निविदाएँ, अनुबंध और सरकारी बैठकों के मिनट्स—अक्सर बिखरे हुए और असुरक्षित रूप में संग्रहित होते हैं। डिजिटल रूप से इन्हें संरक्षित करने से सूचना का स्थायी और सुलभ स्रोत बन सकता है।

अध्ययन में यह पाया गया कि डिजिटल अभिलेखीकरण से RTI के उत्तर देने की गति और सटीकता में सुधार होता है, साथ ही सार्वजनिक प्राधिकरणों पर सूचना को proactively साझा करने का दबाव भी बढ़ता है। संकटग्रस्त क्षेत्रों में यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक आपदाएँ, संघर्ष या प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण कागज़ी रिकॉर्ड आसानी से नष्ट हो सकते हैं।

निष्कर्षतः, यह पेपर सुझाव देता है कि RTI अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए डिजिटल अभिलेखीकरण को अनिवार्य बनाया जाए, जिससे सूचना के अधिकार की वास्तविक भावना—पारदर्शिता और उत्तरदायित्व—को मजबूती मिले और नागरिकों के लिए जानकारी तक पहुँच एक स्थायी हक के रूप में सुनिश्चित हो।

1. परिचय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत में प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी कार्यकलापों, निर्णयों और नीतियों से संबंधित सूचना प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार देता है। परंतु सूचना का समय पर और सटीक वितरण तभी संभव है जब अभिलेख सुव्यवस्थित और संरक्षित हों।

संकटग्रस्त क्षेत्रों—जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप प्रभावित इलाकों या नक्सल प्रभावित गाँवों—में पारंपरिक कागज़ी रिकॉर्ड अक्सर नष्ट हो जाते हैं, जिससे सूचना का अधिकार कमजोर पड़ जाता है। यहाँ डिजिटल अभिलेखीकरण एक स्थायी समाधान के रूप में सामने आता है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम: एक अवलोकन

उद्देश्य – नागरिकों को सरकारी संस्थाओं से सूचना उपलब्ध कराना।

प्रमुख प्रावधान –

किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अधिकार।

30 दिनों के भीतर उत्तर देने की बाध्यता।

जानकारी न देने या गलत जानकारी देने पर दंड।

महत्व – भ्रष्टाचार पर अंकुश, नीति निर्माण में जनसहभागिता, लोकतांत्रिक जवाबदेही।

https://www.gapbhasha.org/

3. संकटग्रस्त क्षेत्रों में सूचना तक पहुँच की चुनौतियाँ

दस्तावेज़ों का प्राकृतिक आपदाओं या संघर्ष में नष्ट होना।

सूचना का केंद्रीकृत और कागज़ी स्वरूप।

अधिकारियों की जवाबदेही की कमी।

इंटरनेट और तकनीकी अवसंरचना का अभाव।

4. डिजिटल अभिलेखीकरण: परिभाषा और महत्व

परिभाषा – प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में संग्रहित और संरक्षित करना, ताकि उन्हें आसानी से खोजा, साझा और पुनः प्राप्त किया जा सके।

महत्व –

सूचना तक त्वरित पहुँच।

रिकॉर्ड का दीर्घकालिक संरक्षण।

सूचना के अधिकार के तहत उत्तरदायित्व को मजबूत करना।

संकटग्रस्त क्षेत्रों में डेटा का बैकअप और पुनर्प्राप्ति।

5. RTI और डिजिटल अभिलेखीकरण का एकीकरण

RTI के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं को डिजिटल डेटाबेस में रखना।

पोर्टल आधारित proactive disclosure (स्वप्रकाशन) को अनिवार्य करना।

सभी विभागीय रिकॉर्ड को स्कैन और अपलोड करना।

संकटग्रस्त क्षेत्रों में क्लाउड सर्वर और ऑफलाइन डेटा स्टोरेज का उपयोग।

6. केस स्टडी

केस 1 – केरल बाढ़ 2018
बाढ़ में कई राजस्व रिकॉर्ड नष्ट हुए, लेकिन डिजिटल लैंड रिकॉर्ड पोर्टल से पुनर्प्राप्ति संभव हुई, जिससे RTI आवेदनों का समाधान तेजी से हो पाया।

केस 2 – छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायत और ब्लॉक स्तर पर स्कैन किए गए दस्तावेज़ों को राज्य स्तरीय सर्वर पर सुरक्षित किया गया, जिससे नागरिकों को RTI के तहत जानकारी देने में सुविधा हुई।

---

7. लाभ और संभावनाएँ

RTI आवेदनों के उत्तर की गति और गुणवत्ता में सुधार।

भ्रष्टाचार में कमी।

नागरिकों का विश्वास बढ़ना।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रशासनिक अभिलेखों का संरक्षण।

8. प्रमुख चुनौतियाँ

साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता का खतरा।

https://www.gapbhasha.org/

डिजिटल साक्षरता की कमी।

अवसंरचना और लागत संबंधी बाधाएँ।

9. समाधान और नीतिगत सुझाव

RTI नियमों में डिजिटल अभिलेखीकरण को अनिवार्य बनाना।

ग्राम और ब्लॉक स्तर पर डिजिटल आर्काइव सेंटर की स्थापना।

साइबर सुरक्षा के लिए मजबूत प्रोटोकॉल।

डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन।

10. निष्कर्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम तभी प्रभावी हो सकता है जब सूचना सुलभ, सुरक्षित और संरक्षित हो। डिजिटल अभिलेखीकरण इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, विशेषकर संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए। यह न केवल सूचना तक पहुँच आसान बनाता है, बल्कि शासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाता है। RTI के साथ इसका एकीकरण लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा।

संदर्भ सूची

[1] सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।
[2] भारत सरकार, प्रशासनिक सुधार आयोग, "सूचना तक पहुँच और पारदर्शिता", 2014।
[3] UNESCO (2015). Digital Preservation and Access.
[4] Transparency International (2020). Digital Tools for Anti-Corruption.
[5] सिंह, आर. (2017). सूचना का अधिकार: सिद्धांत और व्यवहार. नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग।

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

मीडिया युध्द : प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश (media wars : competing narrative)

Dr. Manish Gohil
H.O.D
Hindi Department
Smt. R.D. Shah Arts
and Smt. V.D. Shah
Commerce College
Dholka - 382225

"खींचों न कमानों को न तलवार निकालो
जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो"

\- अकबर इलाहाबादी

वर्तमान समय विश्व के लिए संघर्षमय रहा है। आज विश्व के कई क्षेत्र युध्दग्रस्त है। एसे समय में मीडिया की एक विशेष भूमिका रहती हैं। मीडिया समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है। Geopolitics का अर्थ ही होता हैं भू-राजनीति। पूरा विश्व एक भूतल पर खड़ा है। परिणामस्वरूप कोई भी देश - प्रदेश अलग अपने आप को मान ही नहीं सकता। सरल शब्दों में Geopolitics को समजना है तो कह सकते हैं कि "भू-राजनीति, विदेश नीति के अध्ययन की वह विधि है, जो भौगोलिक चरों के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय राजनैतिक गतिविधियों को समझने, उनकी व्याख्या करने और उनका अनुमान लगाने का कार्य करती है। 'भौगोलिक चर' के अन्तर्गत उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, जलवायु, टोपोग्राफी, जनसांख्यिकी, प्राकृतिक संसाधन, तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान आदि आते हैं। यह शब्द सबसे पहले रुडोल्फ ज़ेलेन ने सन् १८९९ में प्रयोग किया था। भू-राजनीति Geopolitics का उद्देश्य राज्यों के मध्य संबंध एवं उनकी परस्पर स्थिति के भौगोलिक आयामों के प्रभाव का अध्ययन करना है। इसके अध्ययन के अनेक ऐतिहासिक चरण हैं, जैसे कि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं रूसी ज़ारशाही के मध्य एशिया में प्रतिस्पर्धा, तदुपरांत शीत युद्ध काल में अमेरिकी साम्राज्यवाद व सोवियत संघ के मध्य स्पर्धा आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जो कि भू-राजनीति के महत्वपूर्ण चरण कहे जा सकते हैं।"[1] 19वीं सदी के भूगोलवेत्ता और जीवविज्ञानी फ्रेडरिक रेटज़ेल को भू-राजनीति का जनक माना जाता है। यहाँ पर भू-राजनीति के ऐतिहासिक परिचय के साथ - साथ मीडिया के सभी पक्ष को समाहित करके आज के डिज़ीटल मीडिया एवं सोशल मीडिया को लेकर बात करना उचित माना जाएगा।

आज के डिजिटल युग में मीडिया केवल सूचना का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उध्योग बन चुका है, जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों को प्रभावित करता है। जब अलग-अलग मीडिया संस्थान एक ही खबर के लिए जूझते हैं, तो यह प्रतिस्पर्धा एक "मीडिया युद्ध" का रूप ले लेती है – जहाँ सत्य, प्रभाव और दर्शक संख्या के बीच संघर्ष होता है।

बीज शब्द -
Geopolitics, भू-राजनीति, राजनीति, मीडिया, समाचार, न्यूज़, अन्तरराष्ट्रीय, भौगोलिक, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, समाचार-पत्र, बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षक, समाजसेवी, समाज, देश, राजकारण, वर्तमान, आज, विश्व, टी.आर.पी.(TRP) ।

मूल आलेख -

वर्तमान विश्व की एक नई तस्वीर बन रही है और इसको बना रहा है - आज का मीडिया। मीडिया की क्रांति ने भूचाल ला कर खड़ा कर दिया है। पूरा विश्व इस समय एक तरह की समाचार क्रांति से गुज़र रहा है। न्यूज़ चैनलों की बाढ़ आई हुई है। हर तरफ कैमेरे नज़र आ रहे हैं और पत्रकार जगत खबरों का पीछा करते दिख रहा हैं। आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भारी बदलाव के साथ- साथ एक जबरदस्त स्पर्धा चल रही है।

आज का समय विश्व फलक पर संघर्षमय दिख रहा है। जिसका कारण राजनीतिक महत्वकांक्षाओं के साथ - साथ

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

व्यक्तिगत मानसिकता रही है, एसा अनुमान लगाया जा सकता है। संसार तभी सुखमय बनता है, जब सभी देश की नीतिगत विचारधारा वसुधैवकुटुम्बकम की होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि वर्तमान में विश्व में अराजकता फैली है। आज यूनो (UNO) संगठन के आदेश को महासत्ताएं नहीं मान रही। अमरिका के साथ के कारण इज़रायल हठात अन्य संगठनों की अवहेलना करते हुए दुश्मन देश पर लगातार हमले कर रहा है। इसी प्रकार रशिया - यूक्रेन के बीच चल रहे युद्दद को देखें तो रशिया भी अपने तरिके से किसी की भी बात को मान नहीं रहा। एसे वातावरण में मीडिया की भूमिका स्पष्ट और तटस्थ रहनी चाहिए। पर आज हम जो भी समाचार देखते हैं या सुनते हैं, वह कितने विश्वशनीय हैं?, एक सवालिया निशान बनाता है। मीडिया को समाज का चौथा स्तंभ माना गया है, समाज के प्रति उसका दायित्व एक जागरूक पक्षकार के रूप में होता है। पर हम जानते हैं कि आज का मीडिया बिकाऊ है। ज्यादातर देश की शासक सरकार अपनी मुट्ठी में मीडिया को रखती है।

भू-राजनीतिने (Geopolitics) आज विश्व को एक साथ खड़ा कर दिया है। भारतीय परिवेश में देखे तो भारत विश्व में शांति दूत के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। स्वतंत्रतापूर्व का मीडिया जो रूप में अपना दायित्व निभा रहा था वह दायित्व आज का मीडिया निभा रहै है? कारण स्पष्ट दिखायी देगा। आज मीडिया के सारे भाग फिर आप चाहे प्रिंट मीडिया ले लो या चाहे सोशल मीडिया ले लो या डिज़ीटल मीडिया ले लो सभी कहीं न कहीं अपने नैतिक दायित्व, जिम्मेदारी से हट गए हैं।

सरल भाषा में कहें तो मीडिया युद्ध का तात्पर्य उन स्थितियों से है, जहाँ विभिन्न संस्थाएं, राज्य या समूह एक दूसरे के विरोधी आख्यान (narratives) गढ़ते हैं, उनका प्रचार करते हैं और जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस शोधपरक लेख में हम इस प्रवृत्ति के ऐतिहासिक, वैचारिक, सामाजिक, तकनीकी और वैश्विक परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण करेंगे।

1. मीडिया का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य -

कोई भी परिवेश का एक ऐतिहासिक भाग होता है। मीडिया के बारे में जानकारी ली जाए तो यह बात सामने आती हैं कि समाचार का आदान -प्रदान तो प्राचीन दृष्टांतों के साथ हम देख सकते। पुराण काल में नारदमुनि का चरित्र जो कार्य करता हैं वह संदेश का आदान-प्रदान करता है। उनका काम ही था कि पृथ्वी पर घटी घटना को स्वर्ग में जाकर बताना और स्वर्ग में घटी घटना को पृथ्वी पर आकर बताना। हम जानते हैं कि मीडिया के इतिहास में आख्यानों की प्रतिस्पर्धा कोई नई बात नहीं है। प्राचीनकाल में राजा-महाराजाओं के दरबारों में सूचनाएं प्रचारित करने के लिए दूत या कवि प्रयुक्त होते थे। ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मीडिया एक युद्धक्षेत्र बन गया था। जहाँ ब्रिटिश शासन अपने औपनिवेशिक 'सभ्यता मिशन' को प्रचारित करता था, वहीं भारतीय अखबारों और नेताओं द्वारा स्वतंत्रता की आवाज़ को स्वर दिया जाता था। उदाहरण:-

- बाल गंगाधर तिलक के "केसरी" और "मराठा" जैसे पत्रों ने राष्ट्रवादी आख्यान रचे।
- ब्रिटिश मीडिया ने 1857 की क्रांति को 'सिपाही विद्रोह' बताकर उसके अर्थ को ही बदलने का प्रयास किया।

ये एसे उदाहरण है, जो भारत के मीडिया के दो पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। परतंत्र देश का मीडिया अपने संग्राम को बताना के लिए स्वयं अखबार निकालकर अपने स्वतंत्रा संग्राम की ख़बरें देता था और अपनी आज़ादी के लिए झूझ रहा था तो ब्रिटिश सरकार विद्रोहात्मक ख़बरों को मार मचौड़कर गलत तरिके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करती थी।

2. आधुनिक मीडिया में समाचोरो (आख्यानों) की प्रतिस्पर्धा -

आज के समय में मीडिया का पूरा कलेवर बदल गया है। आज मीडिया ने डिज़ीटल रूप प्राप्त कर लिया है। आज न्यूज़ रूम वॉर रूम जैसे बन गए हैं। एक ही समाचार को हर चैनलवाले रोचक बनाने के लिए कइ प्रकार के हथकड़ते अपनाती है। सुबह के प्रसारित समाचर रात तक एक अलग ही रूप लेकर प्रसारित होते हुए दिखते हैं। एक्सक्लुज़ीव रिपोर्ट में तो कुछ भी एक्सक्लुज़ीव नहीं रहता ओर लोग एक ही घटना को तीतर - बीतर होत हुए देखते है। यह होने के पीछे मीडिया में चल रही प्रतिस्पर्धा हैं। सभी को टी.आर.पी. (TRP) में नम्बर वन आना है। इसीलिए सब लोग कुछ न कुछ हटकर करने का प्रयास करते हैं।

2.1 पारंपरिक बनाम डिजिटल मीडिया - टेलीविजन, रेडियो और समाचार-पत्र जैसे पारंपरिक मीडिया ने लंबे समय तक सूचनाओं पर एकाधिकार बनाए रखा, किंतु सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म के आगमन से आख्यान-निर्माण का लोकतंत्रीकरण हो गया। अब कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से एक नया आख्यान गढ़ सकता है और उसे

https://www.gapbhasha.org/

वैश्विक स्तर पर प्रचारित कर सकता है।

प्रभाव:

- सत्ता और संस्थाएं अब अकेले आख्यान नियंत्रित नहीं कर सकतीं।
- 'फैक्ट-चेकिंग' आवश्यक बन गई है।

2.2 सोशल मीडिया का उदय - वर्तमान में सोशल मीडिया ने आकाश सी ऊंचाई प्राप्त कर ली है। आज हम सब इसके हिस्सेदार है। कह सकते हैं कि आज हम सब इसकी गिरफ्त में है। हम सब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफोर्म पर हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब,एक्स जैसे मंचों पर आख्यानों का युद्ध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ट्रेंडिंग अभियान और बॉट्स द्वारा आख्यान निर्माण के नए युग की शुरुआत हुई है।

3. राजनीतिक दृष्टिकोण : आंतरिक लड़ाई -

आज मीडिया का अगर कोई सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा है, तो वह है राजकिय पक्ष। सोशल मीडिया के अलग - अलग प्लेटफोर्म पर राजकिय पक्ष अपनी विचारधारा को मैसेज तथा रील्स और अन्य माध्यम के ध्वारा पोस्ट करने लगे हैं। राजनीति में मीडिया का उपयोग केवल प्रचार के लिए नहीं होता, बल्कि विरोधी पक्षों के विरुद्ध आख्यान तैयार करने के लिए भी होता है। चुनाव के दौरान विभिन्न दल अपने पक्ष में 'नैरेटिव' बनाते हैं और विरोधी दल के विरुद्ध नकारात्मक आख्यान गढ़ते हैं।

उदाहरण:

3. भारत में "चौकीदार चोर है" बनाम "मैं भी चौकीदार" जैसे नारे आख्यान-युद्ध के उदाहरण हैं।
4. अमेरिका में 2016 और 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में "Fake News" और "Deep State" जैसे आख्यानों ने चुनाव को गहराई से प्रभावित किया।

4. मीडिया युद्ध में सच्चाई बनाम भ्रम -

मीडिया सच्चाई की धूरी पर होगा तभी उसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी। मीडिया और सच्चाई में एक गहरी खाई हो गई हैं। परिणामत: साक्षरता प्राप्त व्यक्ति को मीडिया की खबरों की सच्चाई पर भ्रम होने लगे हैं। हम जानते हैं कि आज के दौर में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना, अर्धसत्य को पूर्ण सत्य के रूप में दर्शाना और disinformation तथा misinformation फैलाना आम हो गया है। अब तो ए.आई टेकनोलोजी आ गई है, जिसने तो सोशल मीडिया में आमूलचुल परिवर्तन कर दिया है।

4.1 Deepfakes और AI-generated content - आजकल यह आम हो गया है कि समाचार हो या खबरें सही है या गलत हम तय नहीं कर पाते। सोशल मीडिया में कई वीडियो एसे प्रस्तुत हो रहे हैं जो प्रथम दृष्टि से सच्चे लगेंगे पर दरअसल वह सच्चे नहीं होते। उनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनाए गए डीपफेक वीडियो और ऑडियो से सच्चाई और झूठ के बीच का भेद पकड़ नहीं सकते। सच्चाई और झुठ के वीच की रेखा धुंधली हो गई है। कुछ समय पहले हिन्दी फिल्मों की प्रतिभासम्पन्न नायिका रश्मिका मंदाना का एक अरुचिकर फेक वीडियो सोशल मीडिया में प्रचलन में रहा था। जो उनके व्यक्तित्व पर ठेस पहुचानेवाला रहा था। उनको बाद में उस वीडियो को लेकर स्पष्टीकरण करना पड़ा था। एसी कई सेलीब्रीटी के फेक वीडियो बनते रहै हैं। आज ए.आई का ज़माना आ गया है। यह टेकनोलोजी बहुत ही उपयोगी हो रही है, पर एक सावधानी का सूर भी फैल रहा है कि इस टेकनोलोजी के प्रयोग से सूचना की तटस्थता कितनी हैं यह जानना कठीन हो जाएगा। वर्तमान समय ए.आई सामग्री की जाल में फस जाएगा। अभी यूट्यब पर, इनस्टाग्राम पर हमारे देश के ही बड़े नेता, अभिनेता, सेलीब्रीटी के अनुचित वीडियो, शोर्टस् देखने को मिलते हैं। यह कार्य बहुत ही घिनौना है। इस पर सरकार को ही उचित कदम ऊठाने पड़ेंगे नहीं तो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को हानि पहुँच सकती है।

4.2 सूचना की बाढ़ - आज सूचना की बाढ़ आ गई हैं। मीडिया में तीव्रता का बढ़ना समाचारों की सत्यता पर प्रश्नार्थ लगाता है। प्रतिस्पर्धा के कारण न्यूज़ चैनले न आव देखा न ताव देखा बस बिना जाँच-पड़ताल समाचारों को प्रस्तुत करने लगी हैं। अभी हाल ही में अहमदाबाद में बोइंग विमान का करुण हादसा हो गया। तब प्रादेशिक न्यूज़ चैनल ने बिना पड़ताल किए समाचार प्रसारित कर दिए कि आज शाम तक प्रधानमंत्री बोइंग हादसे के घटनास्थल का दौरा

https://www.gapbhasha.org/

करने अहमदाबाद आ रहे हैं। सही बात तो यह थी कि भारत सरकार के ओफिसियल पोर्टल पर एसे कोई समाचार को अनुमोदन नहीं था। मात्र टी.आर.पी (TRP) बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी बक देना। ये समाचार नहीं बल्कि एक धोख़ा है देश की जनता के साथ। हम मानते है कि Information overload के कारण व्यक्ति के लिए सत्य और झूठ में अंतर करना कठिन हो गया है। पर सामान्य नोलेज तो हो सकता है, जो सच और झूठ का फर्क कर सके।

5. अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मीडिया युद्ध -

आज विश्व में एक प्रकार का अशांति का माहौल है। एक ओर रशिया - यूक्रेन के बीच कई समय से युध्द चल रहा है, उसी प्रकार इज़रायल और पेलेस्टाईन के साथ गाज़ा पट्टी और अब ईरान के साथ युध्द चल रहा है। ठीक ऐसे ही मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया सब के बीच एक प्रकार का वॉर कई समय से चल रहा है। दुनिया को सबसे पहले समाचार देन की हरिफाई में पीछे न रहे जाए की होड़ में चैनले बिना जाँच-पड़ताल किए समाचारो को प्रसारित कर रही है। इसका कारण अपनी चैनल को, अपने न्यूज़ पेपर को लोकप्रियता के शिखर पर पहुँचाने की ईच्छा मात्र रहती है। यह सही भी है पर विश्वसनीयता, भरोसा को खो-कर नहीं होनी चाहिए। इसका नतीज़ा यह आया है कि हर चैनल, मीडिया हाउस हो या सोशल मीडिया के बीच युध्द जैसा माहौल दिखने लगा है। हमारे भारत की न्यूज़ चैनलें तो अपने मीडिया रूम को वॉर रूम जैसे ही बना देती है। कईबार तो हास्यास्पद तरिके से न्यूज़ एंकर न्यूज़ को बताने की कोशिश करते हैं। युध्द विश्व के किसी कोने में चल रहा हैं, पर उनके न्यूज़ देखने से तो एसा लगने लगता है कि युध्द हमारे देश में ही चल रहा है, हमारे ड्रोइंग रूम में चल रहा है। एसा करने के पीछे उनका टी.आर.पी (TRP) गेम ही होता है। टी.आर.पी (TRP) में नंबर वन पर रहने के लिए ही ये सारे उपकरणों का प्रयोग करते हैं।

- रूस बनाम पश्चिम - रूस द्वारा यूक्रेन युद्ध के दौरान विभिन्न आख्यान गढ़े गए। जैसे "नाज़ीकरण का अंत करना"।
- पश्चिमी मीडिया रूस को 'आक्रामक' के रूप में प्रस्तुत करता रहा।
- चीन का 'Soft Power' नैरेटिव - बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को चीन ने विकास के मॉडल के रूप में प्रचारित किया।
- कई विशेषज्ञ इसे भू-राजनीतिक विस्तार का उपकरण मानते हैं।

6. मीडिया युद्ध में गैर-सरकारी संगठन-समूह(सिविल सोसाइटी) और बुद्धिजीवियों की भूमिका

आज के भू-राजनीति (Geopolitics) के मंच पर मीडिया को आईना दिखाने का काम अगर कोई कर सकता है तो देश का बुध्दिजीवी वर्ग। जब मीडिया अपना दायित्व भूल जाता है तो उसको सही रास्ता दिखाने का काम समाज के बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षक और समाजसेवी को निभाना पड़ता है। ये लोग मीडिया युध्द में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता, शोधपूर्ण लेखन और सत्य पर आधारित संवाद ही इस युद्ध में दीर्घकालीन समाधान दे सकते हैं। उदाहरण स्वरूप : ऑल्ट न्यूज़, बूम, द वायर, न्यू स्लैंट आदि संस्थाएं फैक्ट चेकिंग कर जनता को सही सूचना देने का कार्य कर रही हैं। हम एसी संस्थाओं के ध्वारा दी गई कोई भी टिप्पणी पर विश्वास कर सकते हैं। 'अभी हमारे देश में सर्वोच्च अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर टेकस्ट या वीडियो माध्यम ध्वारा असामाजिक अभिव्यक्ति के कारण उद्भवित विभाजनकारी वृत्तियों को वश में रखने की ज़रुरत पर ध्यान खींचते हुए स्व-नियम के प्रति जागृत होने की बात कहीं है। कारण था कि एक नागरिक पर कई राज्यों में एक खास धर्म के देवताओं के विरुध्द अनुचित पोस्ट करने के कारण एफ.आर.आई. हुई थी। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने बात रखते हुए कहाँ कि देश के नागरिको को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के मूल्य को समजना चाहिए और इस अधिकार का उपयोग करते समय नागरिक स्वयम् आत्मसंयम रखे यह ईच्छनिय है।'[2] यह समाचार अभी के हैं। हम देख सकते हैं कि आज सोशल मीडिया में कईबार गलत बातों को लेकर देश के हालात बिगड सकते हैं तो स्वयम् सर्वोच्च अदालत को आँख लाल करनी पड़ती है।

7. मीडिया पर बाजारीकरण का प्रभाव -

वर्तमान में मीडिया पर बाज़ारीकरण का प्रभाव बहुत हद तक बढ़ गया है। ज्यादातर न्यूज़ चैनले कोई न कोई कोर्पोरेट संस्थान से जुडी हुई हैं। ये चैनले सेवा नहीं कर रही पर बीज़नेस कर रही है और जहाँ बीज़नेस होगा वहाँ

https://www.gapbhasha.org/

बाज़ार आयेगा ही। परिणामस्वरूप न्यूज़ की सत्यता पर समाधान हो सकता है। ऐसी चैनल चाहकर भी कुछ तथ्यों को उजागर नहीं कर सकती और उसे कोर्पोरेट के दबाव में काम करना पड़ता है। जब मीडिया संस्थाएं लाभ की दृष्टि से संचालित होती हैं, तो वे टी.आर.पी. (TRP) या क्लिकबेट के लिए सनसनीखेज आख्यानों को बढ़ावा देती हैं। परिणाम स्वरूप मुद्दों की गहराई खो जाती है। समाज में ध्रुवीकरण और असहिष्णुता बढ़ती है। नतीजन देश की प्रजा को सच्ची खबरें मिलती ही नहीं। प्रजा को तो वही खबरें दी जाती है, जो मार्केट को बढ़ाए। टी.आर.पी (TRP) में नंबर वन पर लाए।

8. शिक्षा प्रणाली में मीडिया साक्षरता की आवश्यकता -

आज मीडिया के छल रूप को देखकर चिंता होना स्वभाविक है । मीडिया के सही रूप को तथा उसके जवाबदार पक्ष को समजने के लिए पत्रकारिता के सिध्दांत तथा उसके नियमों की जानकारी होना ज़रुरी है। इसके लिए मीडिया साक्षरता की आवश्यकता है। आज प्रतिस्पर्धी आख्यानों के इस युग में हर नागरिक को यह सिखाया जाना चाहिए कि–

- सूचना का स्रोत क्या है?
- क्या यह पक्षपातपूर्ण है?
- क्या इसमें तथ्यात्मक पुष्टि है?

शिक्षा प्रणाली में मीडिया साक्षरता (Media Literacy) को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि लोग विवेकपूर्ण ढंग से सूचना का उपभोग करें। जब जवाबदार मीडिया होगा तो नागरिक भी जवाबदार बनेंगे। जिससे एक तंदुरस्त समाज का निर्माण होगा।

9. समाधान की दिशा में प्रयास -

भू - राजनीति (Geopolitics) के दौर में मीडिया का क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक बन गया है। अराजकता भरे माहौल में सभी का ध्यान एक विश्वसनीय स्रोत पर जाएगा जो स्वाभाविक है। विश्वसनीय स्रोत में मीडिया को देखा जाता है। क्योंकि पत्रकारिता समाज का चौथा स्तंभ है। इसे अपना दायित्व तटस्थता से निभाना पड़ेगा। समाज को भी यह ध्यान रखना होगा कि मीडिया के तटस्थ कार्य को सराहना चाहिए। एक तंदुरस्त समाज का निर्माण तभी होगा जब समाज भी अपने समाधानकारी दृष्टिकोण को बनाकर रखे। आज फेक़ न्यूज़ के कारण कई मीडिया कंपनीओं को सहन करना पड़ रहा है। आपातकालीन स्थिति में कई मीडिया ग्रुप ने मानवतावादी अभिगम अपनाया है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि भू-राजनीति(Geopolitics) के स्तर पर मीडिया का भी एक अहम रोल होता है। हर देश की सरकार अपने सूचना और प्रौधोगिकी विभाग ध्वारा एडवाइज़री बनाती है। सभी मीडिया क्षेत्र को उसका पालन करना पड़ता है। गलत होता है तो नियम के मुताबिक कार्यवाही करना उनका दायित्व है। इसलिए कई बार समाधानकारी नीतियाँ देश की प्रगति, देश की अच्छी तस्वीर को प्रस्तुत करती है।

निष्कर्ष

वर्तमान में मीडिया में झेन-जी, मिलेनियल्स, जनरेशन - एक्स, बूमर्स नाम प्रचलित हुए हैं। हमारे मीडिया एनालिस्टस्, मार्केटिंग क्षेत्र के उस्तादों और कुछ हद तक समाजशास्त्रीओं ने अलग - अलग पीढ़िओं को एसे नाम दे दिए हैं। इन सबको अगर कोई एक मंच पर लाता है तो वह भू-राजनीति है। भू-राजनीति (Geopolitics) में विश्व एक अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़ा है। कोई भी देश जब अन्तरराष्ट्रीय व्यवहार करता है, तो उसे नियत किए गए अन्तरराष्ट्रीय नियम का पालन करना पड़ता है। दु:ख की बात हैं कि वर्तमान में हम देखते हैं कि विश्व की महासत्ताएं अपने नीजि लाभ के लिए नियमों का उल्लंघन कर रही है। आज विश्व दो अलग-अलग धूरी पर बंध गया है। जगत जमादार अमरिका रोज नये-नये उलझुलुल विचारों को वैश्विक मंच पर प्रसारित कर रहा है। एसे में मीडिया की भूमिका भी शंका के दायरे में रही है। ताकतवर देश का मीडिया अपने दायित्व से गिर रहा है। वो जो बोले, कहे, दिखाए सब सही हैं और उसके विपरित खड़ा मीडिया जो बोले, कहे, दिखाए वह गलत। परिणाम स्वरूप विश्व की जनता सही-गलत के चौराहें पर दिशाहीन खड़ी नज़र आ रही है। आज का युग 'मीडिया युद्ध' का युग बन चुका है, जहाँ सत्य और असत्य, सूचना और भ्रम, विचार और प्रचार के बीच युद्ध चल रहा है। प्रतिस्पर्धी आख्यानों के इस

https://www.gapbhasha.org/

महासंग्राम में केवल वही समाज जीवित रह सकेगा जो विवेकपूर्ण ढंग से सूचनाओं का विश्लेषण कर सकेगा और सच्चाई को पहचानने की योग्यता विकसित करेगा। इसलिए, एक सजग नागरिक, जिम्मेदार मीडिया और सशक्त सिविल सोसाइटी ही इस संकट का समाधान प्रस्तुत कर सकती है।

संदर्भ - संकेत

[1] Wikipedia से
[2] गुजरात समाचार, पृ. 8 (दि. 17-7-2025)

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

मॉरीशस का हिंदी कहानी प्रवासी साहित्य : अस्मिता संस्कृति और संघर्ष की अभिव्यक्ति

डॉ.संगीता एम. सोलंकी

श्रीमती आर.डी.शाह आर्ट्स एंड
श्रीमती वी.डी.शाह कॉमर्स कॉलेज धोलका
हिंदी विभाग
दूरभाष नंबर- 9898603664

प्रवासी हिंदी साहित्य भारतीय संस्कृति की उन शाखों में से एक है, जो सीमाओं से परे जाकर भी अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है। जब हम मॉरिशस के हिंदी कहानी साहित्य की बात करते हैं, तो हमारे सामने वह साहित्यिक परंपरा आती है ,जो भारत से दूर, एक छोटे से द्वीप राष्ट्र में हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति और मानवीय संघर्षों की अद्भुत अभिव्यक्ति है। यह साहित्य सिर्फ कहानियों का संकलन नहीं है, बल्कि यह उन लाखों भारतीयों की स्मृतियों, संघर्षों, पहचान की खोज और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की कथा है, जो गिरमिटिया मजदूरों के रूप में मॉरीशस पहुंचे थे। मॉरीशस का हिंदी साहित्य विश्व के उन हिस्से की आवाज है जहां लोग जबरन या स्वेच्छा से भारत से बाहर जाकर बसें, और वहीं की माटी में अपनी संस्कृति, भाषा और अस्मिता को संजोए रखा। मॉरीशस के हिंदी कहानीकारों ने अपने अनुभवों को शब्दों में ढालकर न केवल साहित्य को समृद्ध किया है, बल्कि भारत और मॉरीशस के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का कार्य भी किया है।

मॉरीशस में हिंदी कहानी साहित्य की 19वीं सदी के मध्य में रखी गई 1834 से 1920 के बीच लाखों भारतीय मजदूर को गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत वहाँ लाया गया। वे ' गिरमिट' (अनुबंध)के आधीन लाए गए थे। इसीसे उनका नाम गिरमिटिया मजदूर पड़ा । उनका जीवन श्रम , शोषण , अपमान और असमानता से भरा था। प्रारंभिक समय में यह अनुभव मौखिक परंपराओं में थे, पर धीरे-धीरे साहित्य में ढलने लगे। यही साहित्य आगे चलकर मॉरीशस के हिंदी कहानी साहित्य का मूल बना ।

- हिंदी प्रवासी कहानी में अस्मिता का संकट :-

मॉरीशस की कहानियों में अस्मिता का संकट एक प्रमुख विषय है। प्रवासी भारतीय वहाँ न पूरी तरह भारतीय रहे ना पूरी तरह मॉरीशस। यह द्वैत जीवन उनकी कहानियों में गहराई से अभिव्यक्त हुआ है। कहानियों में पात्र अक्षर यह सवाल करते दिखते हैं, "मैं कौन हूं ?" - यह प्रश्न ही प्रवासी साहित्य की अस्मिता का मूल है। अस्मिता का अर्थ है - व्यक्ति या समाज की पहचान, स्वाभिमान और अस्तित्व की चेतना। मॉरीशस के हिंदी कहानीकारों ने अपने पात्रों के माध्यम से इस पहचान की खोज को गहराई से चित्रित किया है। कृष्णानंद झा कवि की कहानी 'चुपचाप बहता पानी' में नायक की मानसिक स्थिति उस सास्कृतिक उलझन को दर्शाती है जिसमें वह अपने मूल देश की स्मृति और नए देश की वास्तविकता के बीच बँटा हुआ है। कमला दिनबलसिंह की कहानी 'परछाईयाँ' एक युवा लड़की की कथा कहती है। जो मॉरीशस में जन्मी है लेकिन भारत की संस्कृति से गहराई से जुड़ी है। वह अपनी दादी की कथाओं के माध्यम से भारत को पहचानने की कोशिश करती है, जबकि मॉरीशस की आधुनिकता उसे अपनी परंपरा से दूर ले जाने की कोशिश करती है।

पुष्पिता अवस्थी की 'उंडनी' कहानी में राम दिन सिद्धचाबी को अपनी पहचान मानता है। अंधाधुंध शहरीकरण ने गाँव को गाँव रहने नहीं दिया, तभी तो रामदीन कहता है – "यह साहब नकली चाबी है। असली चाबी तो महातारी के लग्गे ना। हमरे खियाँ ता बस। जेबा में एक ठे संदूकची लड़कियाँ की पेटी की चाबी ना। भईयाजी ई, कान पर टंगल चाबी का छल्ला हमार पहचान ना। नाही तौ... ई भारी चमक-दम्मक वाले शहर मा कहाँ हमार बोर्ड... और का हमार पहचान।"[1] 'सेवक' कहानी पंडित मनोहरलाल की है जो श्रमिक के जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी मजदूरों की आत्म पहचान की यात्रा का दस्तावेज है।

श्री अनतजी ने कई कहानियों में रंगभेद की समस्या का चित्रण किया है। यह समस्या मॉरीशस में भी रही है और भारत में भी रही है। बड़ों से सीखा पाठ, खिलौना एवं रंग जैसी कहानी में भारतीय लोगों की पहचान रंग है। इसी रंग के कारण उनको बहुत कुछ सहना पड़ा था। 'रंग' कहानी में लेखक गन्ने की कटाई कर के जल्द घर जाना चाहते हैं क्योंकि दूसरे दिन स्वतंत्रता दिवस था। गाँव की और से सांस्कृतिक कार्यक्रम की जिम्मेवारी उन पर थी। लेखक घर जाने के लिए निकोले साहब के खेत से गुजरते है, वही निकोले साहब का दामाद लेखक पर तरबूज चोरी करने का आरोप लगाते है। सरदार ने चोर का जो हुलिया बताया वह लेखक से मिलता है। हुलिया का एकदम मिलने का मतलब था लेखक का रंग।

मॉरीशस में अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए भारतीय लोगों को कई संघर्ष करने पड़े थे। कई संघर्षों के बाद मॉरीशस में भारतीय लोगों को एक स्थान मिल पाया है और इसी व्यथा को मॉरीशस हिंदी कहानी में वर्णित किया गया है।

- संस्कृति संरक्षण : हिंदी कहानियों में भारतीय परंपराओं की झलक :-

मॉरीशस के हिंदी कहानी साहित्य में संस्कृति एक जीवंत पात्र की तरह उपस्थिति रहती है। वहाँ की कहानीयाँ भारतीय रीति-रिवाज, त्यौहार, पारिवारिक मूल्य और धार्मिक विश्वासों को सजक रूप से चित्रित करती है। 1859 से मॉरीशस में हिंदू मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था और उनमें भजन-कीर्तन के साथ हिंदी की भी पढ़ाई होती थी। इसी प्रकार भारतीय मजदूर रात को

https://www.gapbhasha.org/

बैठका में बैठते, सुख-दुख बाँटते और अपनी भाषा-संस्कृति तथा धर्म को बचाए रखने के बारे में सोचते।
रामदेव धुरंधर की रचनाओं में भारतीय संस्कृति की छाया साफ झलकती है। 'गुलामी की छाया' जैसी कहानी में एक और जहां गिरमिटिया की पीड़ा है वहीं दूसरी और पूजा-पाठ, लोकगीत और भोजपुरी संस्कृति की स्मृतियाँ भी है। 'सर्द रात का सन्नाटा' दो परंपराओं के बीच टकराहट से उपजी जटिलता और भारतीय संस्कृति की पहचान को बचाए रखने की कहानी है। उनकी और एक कहानी 'सच का आईना' कहानी में एक विवाहित जोडे की है जो अपनी नई गृहस्थी को पारदर्शिता से स्थापित करना चाहते हैं। "शादी के दो दिन हुए। दोनों अब अपने वर्तमान को ध्यान में रखते हुए बात करने की भावना में ओत-प्रोत थे। सहसा पति ने कहाँ मैं एक लड़की को चाहता था, लेकिन शादी ना हो सकी। अब तुम अपनी बोलो, ताकि हमारी गृहस्थी में कुछ छिपा न रहे। पत्नी एक लड़के को चाहती थी, लेकिन शादी ना हो सकी। पर वह बोली नहीं। वह स्त्री थी। अपना सच बोला तो उसे अपने जीवन में वह महंगा पड़ सकता था।"[2]
'स्वर्ग में क्या रखा है' दीपचंद बिहारी की कहानी है। जिसका श्यामलाल मेहनतकश किसान है, जो अपने बच्चों को हिंदी पढाता है त्यौहार मानता है और पारंपरिक रीति-रिवाज निभाता है। कहानी का मुख्य संघर्ष तब आता है जब उसका बेटा उच्च शिक्षा के लिए यूरोप जाना चाहता है। श्यामलाल को डर है कि पश्चिमी वातावरण में बेटा अपनी भाषा, रीति-रिवाज और धार्मिक आचार छोड़ देगा। बेटा कहता है- "पिताजी, मैं भी स्वर्ग देखना चाहता हूँ।" "स्वर्ग में क्या रखा है? असली स्वर्ग तो यही है, जहाँ अपने लोग, अपनी भाषा, अपनी परंपरा है।"[3]
सूर्यप्रसाद बुधु का लेखन मॉरीशस के भारतीय समुदाय के इतिहास और वर्तमान को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उनकी कहानियों में अक्सर पारंपरिक विवाह समारोह का वर्णन मिलेगा, जहां सोहर और विवाह के लोकगीत गाए जाते हैं। रामलीला या भजन कीर्तन के माध्यम से संस्कृति को जीविन रखने के प्रयासों को दर्शाया गया है।
इन कहानियों के माध्यम से प्रवासी समाज ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखा। चाहे वह मंदिर हो, हिंदी भाषा की कक्षा हो या होली और दीपावली जैसे त्यौहार।

- संघर्ष की अभिव्यक्ति : सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्तर पर :-

मॉरीशस का हिंदी कहानी साहित्य संघर्ष का साहित्य है। - जहाँ पीड़ा है, परंतु हार नहीं, जहाँ अपमान है, परंतु आत्म सम्मान की तलाश भी है। यह साहित्य हमें बताता है कि कैसे भारत से दूर रहनेवाले प्रवासी भारतीय अपनी मूल पहचान, भाषा और संस्कृति को सहेजने के लिए निरंतर संघर्षत रहे। संघर्ष मॉरीशस के हिंदी कहानी साहित्य का सबसे मजबूत स्तंभ है। यह संघर्ष कई रूपों में उपस्थित है। जैसे की - श्रमिक, सामाजिक, स्त्री, भाषिक आदि।
अभिमन्यु अनत की 'विकल्प' कहानी में सुरघनी की शादी रंजीत के साथ हो जाती है। रंजीत अपनी कमाई का सारा पैसा जुए में हार जाता है। सुरघनी को जब संजू पैदा हुआ तब रंजीत ने उसे कहा था – "अब अगर मैं नहीं भी रहा तो तुम अपने को अकेली नहीं पाओगी। मेरा बेटा तुम्हें हमेशा एक मर्द का संरक्षण देगा।"[4] वही संरक्षण रंजीत की मृत्यु के बाद गणेश देना चाहता है, पर सुरघनी इस बंधन को स्वीकार नहीं करती।
रोहितसिंह मुक्ताराम की कहानी 'अपराध की लकीर' कहानी की शुरुआत में जॉ क्लोद और तांबी हड़ताल की तैयारी कर रहे है। "अपनी तनख्वाह में पंद्रह फीसदी की मांग करते हैं पर मिल मालिक देने को तैयार नहीं। अपने मजदूर भाइयों के बीच कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मॉरीशस हमारी भूमि है - इसकी प्रगति हम सबकी प्रगति है - इसके लिए हमें काम करना चाहिए। हम मजदूरों का भी अपना कोई उत्तरदायित्व है कोई अधिकार है - अपनी तकदीर को अपने हाथ में लेना है। आखिर दोनों देशभक्त जो ठहरे।"[5]
दिपचन्द बिहारी की 'हथियार' कहानी में पोलो और रामसिंह गन्ने के खेतों में काम करते हैं। खेत मालिक दोनों का शोषण करता है, वह जातीय विभाजन की राजनीति फैलाने की कोशिश करता है, ताकि मजदूर आपस में न जुड़े। लेकिन पोलो और रामसिंह इस षड्यंत्र को समझ जाते हैं। पोलो गहरी बात कहता है, "कोई शक्ति, कोई हिंसा हमारे बीच के इस संबंध को नहीं तोड़ सकती। यही हमारा हथियार है - हमारी एकता।"[6]
कृष्ण लाल बिहारी की 'सपने का स्वर्ग' कहानी में लेखक का मित्र कवि बनना चाहता है – "वह अधिक पढा लिखा नहीं था। उसने यह मनसुबा बाध रखा था कि भारत जाकर खूब हिंदी सीखेगा और खूब कविता करेगा। पर हर किसी की आशा-अभिलाषा पूरी नहीं होती।[7] राम हीरामुन की 'थके पांव का सफर' कहानी में एक वृद्ध व्यक्ति शहर की बस में सफर कर रहे है। वे थके हुए, कमजोर और दुखी प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका चरित्र सम्मानजनक है। लोग उनकी देखभाल करते हैं। एक दूसरे यात्री वृद्ध व्यक्ति को साथीत्व और सम्मान देने के लिए अपना स्थान छोड़ देता है। उनको कई प्रश्न पूछे जाते हैं पर वृद्ध व्यक्ति उत्तर मौन रखते हैं और बहुत कुछ कहने से बचते हैं। संघर्ष उनके जीवन की गहराई को दर्शाता है। सब कुछ कहा नहीं जाता कुछ भाव चुप्पी, में कुछ आंखों में संघर्ष और मानवीय संवेदना को उद्घाटीत करती है।
मॉरीशस का हिंदी कहानी साहित्य न केवल प्रवासी जीवन का दस्तावेज है बल्कि अस्मिता, संस्कृति और संघर्ष की अनूठी अभिव्यक्ति भी है। इन कहानियों में नॉस्टैल्जिया, स्वदेश प्रेम, सांस्कृतिक जडे और नए समाज में आत्म सम्मान पाने की कोशिशे स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यह साहित्य न केवल मॉरीशस के भारतीय समाज का इतिहास है, बल्कि वैश्विक प्रवासी साहित्य का अमूल्य अंग भी है।

संदर्भ सूची

[1] गोखरु, पुष्पिता अवस्थी, पृ.सं.8, राधाकृष्ण प्रकाशन दिल्ली, प्रथम सं.2002
[2] E-Abhiyakti.com दि. 23 अक्टूबर 2024
[3] सागरपार, दिपचंद बिहारी पृ.सं. 45, मॉरिशस हिन्दी साहित्य परिषद पोर्टलुई 1976

https://www.gapbhasha.org/

[4] बवंडर – बाहर भीतर, अभिमन्यु अनंत पृ.सं.46, ज्ञान गंगा प्रकाशन प्रथम सं. 2009
[5] मॉरिशस का कथा साहित्य, डॉ. कामता कमलेश, पृ.सं.112, अनन्य प्रकाशन प्रथम सं 1982
[6] सागरपार, दिपचंद बिहारी पृ.सं. 54, मॉरिशस हिन्दी साहित्य परिषद पोर्टलुई 1976
[7] मॉरिशस का कथा साहित्य, डॉ. कामता कमलेश, पृ.सं.61, अनन्य प्रकाशन प्रथम सं 1982

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

ટેરિફ નીતિઓ અને વેપાર યુદ્ધ: વૈશ્વિક વેપાર અને આર્થિક સબંધો પર અસર

ડૉ.સોનલ જી. ઝાંપડિયા

મદદનીશ અધ્યાપક, અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ,
શ્રીમતી આર.ડી.શાહ આર્ટસ અને શ્રીમતી
વી.ડી. શાહ કોમર્સ કોલેજ,
ધોળકા, અમદાવાદ

સારાંશ

જકાત નીતિઓ અને વેપાર યુદ્ધોએ વૈશ્વિક વેપાર તથા આર્થિક સંબંધોને અસર કરી છે. જે દેશોનો તેમાં સમાવેશ થાય છે તે દેશોને તો અસર કરે જ છે, સાથે-સાથે તેની વૈશ્વિક અસર પણ જોવા મળે છે. આ પેપર વૈશ્વિક વેપાર અને દેશો વચ્ચેના આર્થિક સંબંધો પર વેપાર યુદ્ધો અને ટેરિફ નીતિઓની અસર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. યુ.એસ.એ-ચીન વેપાર યુદ્ધ જેવા ઐતિહાસિક અને આધુનિક વેપાર યુદ્ધના દૃશ્યોનો ઉપયોગ કરીને અભ્યાસ સૂચવે છે કે વૈશ્વિક પુરવઠામાં વિક્ષેપ, નાણાકીય બજારની અસ્થિરતા અને કૃષિ જેવા દેશના અર્થતંત્રના ચોક્કસ ક્ષેત્રો પર અસર એ વૈશ્વિક વેપાર પર આ નીતિઓની અસરો છે. આ લેખ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર સંબંધોને આકાર આપવામાં ટેરિફની બહુપક્ષીય ભૂમિકામાં ઊંડા ઉતરે છે. ફક્ત આર્થિક વ્યૂહરચનાના સાધન તરીકે નહીં, પરંતુ ઝડપથી વિકસતા વૈશ્વિક પરિવર્તન માટે ઉત્પ્રેરક તરીકે પણ છે.

Keywords: વેપાર યુદ્ધ, ટેરિફ, નીતિઓ, અવરોધો, વૈવિધ્યકરણ, આર્થિક અસર

પ્રસ્તાવના:

આજે વિશ્વ એક ગામ બની ગયું છે. વર્તમાન સમયમાં થઇ રહેલ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર જોતા કહી શકાય છે કે, કોઈ દેશ આજે સ્વાવલંબી રહ્યો નથી. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજી સ્વાવલંબનની હિમાયત કરતાં હતા. પરંતુ ભારત પણ આજે સ્વાવલંબી દેશ રહ્યો નથી. વિશ્વના તમામ દેશો કોઈને કોઈ રીતે બીજા દેશ પર નિર્ભર છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી પછાત, અલ્પવિકસિત દેશો તેમજ વિકાસશીલ દેશોને ફાયદો પણ થાય છે, તો ક્યારેક વિકસિત દેશો દ્વારા આવા દેશોનું શોષણ પણ થતું જોવા મળે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી વિશ્વના દેશો વચ્ચે ભાઈચારાની ભાવનાનો વિકાસ થાય છે આ ઉપરાંત આર્થિક વિકાસ પણ ઝડપી બને છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી અલભ્ય વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય છે તેમજ ઉત્પાદનના સાધનોનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થાય છે.

આજે વિશ્વનાં દેશોના અર્થતંત્રો વેપારથી બંધાયેલ છે પરંતુ ત્યાં ટેરિફ બેધારી તલવાર તરીકે ઉભરી આવે છે. મોટાભાગના દેશો પાસે કુદરતી સંસાધનો અને ચોક્કસ માલ અને સેવાઓનું ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા મર્યાદિત છે. તેઓ તેમની વસ્તીની જરૂરિયાતો અને માંગને પહોંચી વળવા માટે અન્ય દેશો સાથે વેપાર કરે છે. જો કે, વેપાર ભાગીદારો વચ્ચે હંમેશા અનુકૂળ રીતે વેપાર થતો નથી. નીતિઓ, સ્પર્ધા અને અન્ય ઘણા પરિબળો વેપાર સાથે જોડાયેલ દેશોને અસર કરી શકે છે. સરકારો જે વેપારી દેશો સાથે અસંમત હોય તેમની સાથે ટેરિફ દ્વારા વ્યવહાર કરે છે. ટેરિફ એ એક દેશ દ્વારા બીજા દેશમાંથી આયાત કરાયેલા માલ અને સેવાઓ પર તેને પ્રભાવિત કરવા, આવક વધારવા અથવા દેશના ઉદ્યોગોને સ્પર્ધાત્મક રક્ષણ કરવા માટે લાદવામાં આવતો કર છે. જો કે, આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર હંમેશા સરળ હોતો નથી. કારણ કે નીતિઓ, ભૂરાજકીય મુદ્દાઓ અને હરીફાઈ આ બધા વેપાર ભાગીદારો વચ્ચે ઘર્ષણનું કારણ બની શકે છે.

https://www.gapbhasha.org/

2025 માં ચીન-યુ.એસ. વેપાર સંબંધો જે વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી મહત્વપૂર્ણ દ્વિપક્ષીય આર્થિક સંબંધોમાંનો એક છે. જેમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી. બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચેની સ્પર્ધામાં ટેરિફ નીતિઓ એક મુખ્ય સાધન તરીકે ઉભરી આવી. વર્ષ દરમિયાન, આ નીતિઓ તીવ્ર સંઘર્ષના તબક્કામાંથી પસાર થયા બાદ કામચલાઉ હળવાશના સમયગાળામાં પરિવર્તિત થઈ. આ ફેરફારોની તીવ્રતા વૈશ્વિક વેપાર ઇતિહાસમાં એક દુર્લભ પ્રકરણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ટેરિફનો અર્થ:

ટેરિફ એ સરકાર દ્વારા અન્ય દેશોમાંથી આયાત કરાયેલા માલ અને સેવાઓ પર લાદવામાં આવતા કર છે. આ કર માલના પ્રકાર, મૂલ્ય અને દેશની વેપાર નીતિઓના આધારે ફેરફાર થઇ શકે છે. ટેરિફનો ઉપયોગ દેશમાં વિદેશી માલના પ્રવાહને નિયંત્રિત કરવા અને સ્થાનિક ઉદ્યોગોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાથી બચાવવા માટે એક સાધન તરીકે થાય છે. ટેરિફ આયાતી વસ્તુઓના ભાવ વધારીને ગ્રાહકો માટે ઓછી ઇચ્છનીય બનાવે છે. તેમને સ્થાનિક ઉત્પાદન થયેલ વસ્તુઓ ખરીદવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે.

ટેરિફ વસૂલાત:

આયાત કરનાર દેશની સરહદો પર કસ્ટમ અધિકારીઓ દ્વારા ટેરિફ વસૂલવામાં આવે છે. એકવાર વસ્તુઓ આવે પછી કસ્ટમ અધિકારીઓ સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત ચોક્કસ દરોના આધારે ટેરિફનું મૂલ્યાંકન કરે છે, જે વસ્તુઓના પ્રકાર અને મૂલ્ય પર આધાર રાખે છે.

ઐતિહાસિક અને તાજેતરની ટેરિફ નીતિઓ અને વેપાર યુદ્ધ:

ઐતિહાસિક રીતે ટેરિફ એક લોકપ્રિય અને વિવાદાસ્પદ વ્યૂહરચના છે. નોંધપાત્ર ઉદાહરણ પર નજર કરીએ જેથી ખ્યાલ આવશે કે તેમણે અર્થતંત્રોને કેવી રીતે આકાર આપ્યો. તાજેતરની નક્કી થયેલ ટેરિફ નીતિઓ વૈશ્વિક વેપારને પુનઃઆકાર આપી રહ્યા છે, વિશ્વના તમામ દેશો નવા આર્થિક પડકારો અને ભૂરાજકીય પરિવર્તનોના પ્રતિભાવમાં વ્યૂહરચનાઓ ઘડી રહ્યા છે. ટેરિફ નાબૂદ કરવાથી લઈને નવા વેપાર અવરોધો સુધી આ ફેરફારો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વ્યવસાયો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, તેના પર અસર કરી રહ્યા છે.

1. 1930નો સ્મૂટ-હોલી ટેરિફ એક્ટ:

1930 નો ટેરિફ એક્ટ જેને સામાન્ય રીતે સ્મૂટ-હોલી ટેરિફ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ કોંગ્રેસ દ્વારા ઘડવામાં આવેલા સૌથી વિવાદાસ્પદ ટેરિફ કાયદાઓમાંનો એક માનવામાં આવે છે. આ કાયદાએ ડ્યુટીપાત્ર આયાત પર સરેરાશ ટેરિફ આશરે 40% થી વધારીને 47% કર્યો હતો, જોકે મહામંદી દરમિયાન ભાવ ઘટાડાને કારણે 1932 સુધીમાં અસરકારક દર લગભગ 60% સુધી વધી ગયો હતો. વૈશ્વિક અર્થતંત્ર ગંભીર મંદીમાં પ્રવેશી રહ્યું હોવાથી સ્મૂટ-હોલી ટેરિફ લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. 1929-1933 ની મહામંદી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જ્યાં વાસ્તવિક GDP લગભગ 25% ઘટ્યો અને બેરોજગારીમાં 20% નો વધારો થયો અને વિશ્વના મોટાભાગના દેશો માટે આર્થિક પતનનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી હતી. જેમ-જેમ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર સંકોચાયો, વેપાર નિયંત્રણો વધ્યા, બેરોજગારી વધી અને વિશ્વભરમાં ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો, જેના કારણે ઘણા લોકો વૈશ્વિક આર્થિક કટોકટીનો એક ભાગ સ્મૂટ-હોલી ટેરિફને આભારી છે. મહામંદીની ઊંડાઈમાં આ કાયદાએ કેટલો ફાળો આપ્યો તે સતત ચર્ચાનો વિષય રહ્યો છે.

અર્થશાસ્ત્રી પોલ ક્રુગમેન દલીલ કરે છે કે સંરક્ષણવાદ મંદીનું કારણ બનતું નથી, કારણ કે ટેરિફના પરિણામે આયાતમાં ઘટાડો નિકાસમાં ઘટાડાને સરભર કરી શકે છે. તેમના મતે વેપાર યુદ્ધો નિકાસ અને આયાતને સપ્રમાણ રીતે ઘટાડે છે. જેની ચોખ્ખી અસર આર્થિક વિકાસ પર મર્યાદિત છે. તેઓ દલીલ કરે છે કે સ્મૂટ-હોલી ટેરિફ એક્ટ મહામંદીનું કારણ નહોતું તેના બદલે તેઓ 1929 અને 1933 વચ્ચેના વેપારમાં તીવ્ર ઘટાડાને મંદીના પરિણામે જુએ છે જેમાં વેપાર અવરોધો ટ્રિગરને બદલે નીતિગત પ્રતિભાવનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હતા.

2. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં ટેરિફ-મુક્ત વેપાર તરફ:

સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ સતત વિશ્વની સૌથી સ્પર્ધાત્મક અર્થવ્યવસ્થાઓમાંની એક તરીકે સ્થાન ધરાવે છે. આ દેશના મજબૂત સંસ્થાકીય વાતાવરણ અને ઉચ્ચ સ્તરના તકનીકી અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધન અને વિકાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ વિદેશી રોકાણનું સ્વાગત કરે છે. 1 જાન્યુઆરી, 2024 ના રોજ સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે કૃષિ ઉત્પાદનો, ખોરાક અને પીણાં સિવાય

https://www.gapbhasha.org/

તમામ માલ પર આયાત ટેરિફ નાબૂદ કર્યો. સ્વિસ સરકારે કહ્યું કે ટેરિફ નાબૂદ કરવાથી સ્વિસ ઉત્પાદકોની સ્પર્ધાત્મકતા અને ગ્રાહકો માટે કિંમતો ઓછી થશે. આ પરિવર્તનથી આયાતકારોને વાર્ષિક 540 મિલિયન Confoederatio Helvetica Franc (CHF) થી વધુની બચત થવાની અને કસ્ટમ્સ ક્લિયરન્સ ખર્ચમાં લગભગ 20% ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે જેનાથી સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના વેપાર સંબંધો મજબૂત થશે.

3. યુ.એસ. ટેરિફમાં વધારો:

નવા ટેરિફ નિયમો યુ.એસ. સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલા નિયમો છે. જે અન્ય દેશોમાંથી દેશમાં આવતા માલ પર વધારાના કર ઉમેરે છે. એપ્રિલ 2025 થી યુ.એસ.માં આયાત કરવામાં આવતી દરેક વસ્તુઓ પર 10% વધારાની ફી વસૂલવામાં આવશે જેને યુનિવર્સલ ટેરિફ કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ચીન, યુરોપિયન યુનિયન અને વિયેતનામ જેવા ચોક્કસ દેશોના ઉત્પાદનો પર વધુ કર લાદવામાં આવશે જેમાં કેટલાક કુલ 50% થી વધુ ચૂકવશે. આ ટેરિફ નાખવા પાછળનો ધ્યેય આયાતી માલને વધુ મોંઘા બનાવવાનો છે જેથી અમેરિકન બનાવટના ઉત્પાદનો વધુ સારી રીતે સ્પર્ધા કરી શકે. ટૂંકમાં સરકાર ઇચ્છે છે કે યુ.એસ.માં લોકો અને વ્યવસાયો વધુ સ્થાનિક ઉત્પાદનો ખરીદે અને અન્ય દેશોના માલ પર ઓછો આધાર રાખે. યુ.એસ. લાંબા સમયથી સ્થાનિક ઉદ્યોગોને સુરક્ષિત રાખવા માટે ટેરિફનો ઉપયોગ કરે છે પરંતુ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના એપ્રિલ 2025ના ટેરિફ સમયમાં સૌથી આત્યંતિક છે. જેનો સરેરાશ દર 22.5% સુધી છે જે 1909 પછીનો સૌથી વધુ દર છે. માર્ચ 2025 માં યુ.એસ. કન્ટેનર આયાતમાં વાર્ષિક ધોરણે 11% નો વધારો થયો જેનું કારણ આયાતકારોએ વધતા ટેરિફને ટાળવા માટે ચીનથી ફ્રન્ટ-લોડિંગ શિપમેન્ટ્સ હતા. જોકે ત્યારબાદ ટેરિફ વધારાને કારણે 2025 ના ઉત્તરાર્ધમાં કન્ટેનરાઇઝ્ડ આયાતમાં 20% ઘટાડો થવાની આગાહી કરવામાં આવી હતી. ટૂંકા ગાળાના તાત્કાલિક અસરોમાં આયાતી માલના ભાવમાં વધારો સપ્લાય ચેઇન વિક્ષેપો અને બજારની અસ્થિરતાનો સમાવેશ થાય છે જ્યારે લાંબા ગાળે ટેરિફ વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં પરિવર્તન આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગમાં ઘટાડો અને આર્થિક વૃદ્ધિમાં સંભવિત ઘટાડા તરફ દોરી શકે છે.

4. યુરોપિયન યુનિયનમાં ડિજિટલ ટેક્સ પ્રસ્તાવ:

યુરોપિયન કમિશને મોટી ટેક કંપનીઓ પર ડિજિટલ ટેક્સ લાદવાની યોજના રદ કરી દીધી છે. જે એપલ, મેટા અને એમેઝોન જેવી યુએસ કંપનીઓને સીધો ફાયદો કરાવે છે. આ નિર્ણય અગાઉના પ્રસ્તાવોથી પીછેહઠ દર્શાવે છે અને EU-US વેપાર વાટા-ઘાટોમાં એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણે આવ્યો છે. મહામારીના યુગના સંયુક્ત દેવાની ચુકવણી માટે નવી આવક એકત્ર કરવાની EUની વ્યાપક યોજનાના ભાગ રૂપે મે-મહિનામાં ડિજિટલ રજૂ કરવામાં આવી હતી. તે 2028 માં શરૂ થનારા કમિશનના સાત વર્ષના બજેટના ડ્રાફ્ટમાં દેખાવાની અપેક્ષા હતી. તેના બદલે નવીનતમ ડ્રાફ્ટમાંથી કરને દૂર કરવામાં આવ્યો, જે વોશિંગ્ટન સાથેના વેપાર સંબંધોમાં સુધારો કરવાનો માર્ગ મોકળો કરે છે.

ડિજિટલ પ્લેટફોર્મને અલગ પાડવાને બદલે કમિશન હવે આવકના ત્રણ વૈકલ્પિક સ્ત્રોતો પર વિચાર કરી રહ્યું છે. તમાકુ ઉત્પાદનો પર કર કાઢી નાખવામાં આવેલા ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણો પર વસૂલાત અને વાર્ષિક EU ટર્નઓવરમાં €50 મિલિયનથી વધુ ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ પર કોર્પોરેટ ટેક્સ. આ ત્રણેય પગલાં દર વર્ષે €25 થી €30 બિલિયન એકત્ર કરવામાં મદદ કરવાના હેતુથી છે. પરંતુ આમાંથી કોઈ પણ વિકલ્પ અગાઉની યોજનાની જેમ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મને સીધો લક્ષ્ય બનાવતો નથી. EU નાણાકીય સ્વતંત્રતા અને દેવાની ચુકવણી અંગેની વાતચીતમાં ડિજિટલ લેવી એક સમયે કેટલી કેન્દ્રિય હતી તે જોતાં આ અવગણના નોંધપાત્ર છે.

રાષ્ટ્રીય સરકારો સાવધ રહે છે. ઇટાલી, ગ્રીસ અને રોમાનિયાએ ઇ-સિગારેટ અને વેપ્સ પરના પ્રસ્તાવિત કરનો વિરોધ કર્યો છે. જ્યારે સ્વીડને EU સાથે રાષ્ટ્રીય કર આવક વહેંચવાના વિચારને "સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય" ગણાવ્યો છે.

5. વેપારને વેગ આપવા માટે ચીનનો ટેરિફ ઘટાડો:

આ નિવેદનમાં ચીને ટેરિફ 125% થી ઘટાડીને 10% કર્યો અને ટેરિફનો 24% ભાગ 90 દિવસ માટે સ્થગિત કર્યો. આ ગોઠવણ જીનીવા કરારની શરતો સાથે સંરેખિત કરવામાં આવી હતી જે તણાવ ઘટાડવાના પ્રથમ નોંધપાત્ર સંકેતને ચિહ્નિત કરે છે. માંગ વધારવા, ખર્ચ ઘટાડવા અને નવીનતાને ટેકો આપવા માટે ચીન 935 ઉત્પાદનો પર ટેરિફ ઘટાડશે, પેટ્રોકેમિકલ્સ, રિસાયકલ ધાતુઓ અને તબીબી ઉપકરણો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. તે 43 ઓછા વિકસિત દેશોને શૂન્ય ટેરિફ અને 34 અન્ય દેશોને પ્રેફરન્શિયલ રેટ પણ ઓફર કરે છે જે વૈશ્વિક વેપાર સંબંધોને મજબૂત બનાવે છે.

https://www.gapbhasha.org/

6. ભારત અને યુ.કે. વેપાર કરાર:

ભારતે 24 જુલાઈ, 2025ના રોજ યુકે સાથે વ્યાપક આર્થિક અને વેપાર કરાર (CETA) પર હસ્તાક્ષર કર્યા. તે દેશનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મહત્વાકાંક્ષી વેપાર કરાર છે. જેમાં ટેરિફથી લઈને ટેકનોલોજી સુધીના 26 ક્ષેત્રોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. આ કરારમાં ઘણી બાબતો છે જેના પર ભારત દ્વારા પહેલીવાર સંમતિ આપવામાં આવી હતી. જેમાં ઓટોમોબાઈલ પર આયાત જકાતમાં ઘટાડો અને વેપાર અને જાતિ સમાનતા જેવા પ્રકરણોનો સમાવેશ શામેલ છે. તે ટેરિફ સેવાઓ, ડિજિટલ વેપાર, બૌદ્ધિક સંપદા અને સરકારી ખરીદી જેવા ક્ષેત્રોને આવરી લે છે. CETA ભારતનો 16મો અને તેના સૌથી વ્યાપક વેપાર કરારોમાંનો એક છે. આ કરારનો ઉદ્દેશ્ય માલ અને સેવાઓમાં દ્વિપક્ષીય વેપારને હાલમાં 56 અબજ ડોલરથી બમણો કરીને 112 અબજ ડોલર કરવાનો છે.

આ તાજેતરના વિકાસ દર્શાવે છે કે નવા આર્થિક પડકારો અને ભૂ-રાજકીય ગતિશીલતાના પ્રતિભાવમાં ટેરિફ નીતિઓ કેવી રીતે વિકસિત થઈ રહી છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે વ્યવસાયો કેવી રીતે વેપાર કરે છે તેના પર અસર કરે છે.

વૈશ્વિક વેપાર પર ટેરિફની અસરો:

ટેરિફ રાષ્ટ્રીય વેપાર નીતિમાં એક શક્તિશાળી સાધન તરીકે સેવા આપે છે. જે કિંમતોથી લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો સુધીની દરેક વસ્તુને અસર કરે છે. આયાતી માલ પર કર લાદીને, દેશો સ્થાનિક ઉદ્યોગોને વિદેશી સ્પર્ધાથી બચાવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. આ સિસ્ટમ વિવિધ પરિણામો તરફ દોરી શકે છે જેમાં વેપાર યુદ્ધોની સંભાવનાનો સમાવેશ થાય છે. જ્યાં રાષ્ટ્રો પોતાના ટેરિફ વધારા સામે બદલો લે છે. ટેરિફમાં ફેરફાર આયાતી ઉત્પાદનોને વધુ મોંઘા બનાવી શકે છે જે આખરે ગ્રાહક પસંદગીઓને પ્રભાવિત કરી શકે છે તથા પુરવઠામાં ફેરફાર કરી શકે છે. ટેરિફ અને વૈશ્વિક વેપાર ગતિશીલતા વચ્ચેની આંતરપ્રક્રિયા વૈશ્વિક સ્તરે કાર્યરત વ્યવસાયો માટે તકો અને પડકારો બંને બનાવી શકે છે.

1. આયાતી માલના ખર્ચમાં વધારો:

ટેરિફ નાખવાથી આયાતી વસ્તુના ભાવમાં વધારો કરે છે જેના કારણે તેઓ સ્થાનિક માલની તુલનામાં ગ્રાહકો માટે ઓછા આકર્ષક બને છે. ગ્રાહકો ઘણીવાર ઊંચા ભાવનો સામનો કરે છે; ખાસ કરીને એવી વસ્તુઓ માટે જે સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત થતી નથી અથવા જ્યાં સ્થાનિક ઉત્પાદન અપૂરતું હોય છે. જે વસ્તુના ઉત્પાદન માટે કાચો માલ અને મધ્યવર્તી માલ માટે વિદેશો પર આધાર રાખતા વ્યવસાયો પણ વધુ ખર્ચ અનુભવે છે. જે નફાકારકતાને અસર કરે છે અને વસ્તુની કિમતમાં વધારા તરફ દોરી જાય છે.

2. સ્થાનિક ઉદ્યોગોનું રક્ષણ:

ટેરિફ વિદેશી સ્પર્ધા ઘટાડીને સ્થાનિક વ્યવસાયોનું રક્ષણ કરી શકે છે. સ્થાનિક બજારમાં વસ્તુના પુરવઠામાં ઘટાડો થવાથી લાભ મેળવે છે, જેનાથી તેઓ બજારમાં પોતાનો હિસ્સો જાળવી શકે છે અને નોકરીઓનું રક્ષણ કરી શકે છે. જો કે આ ઘટેલી સ્પર્ધા લાંબા ગાળે નવીનતા, બિનકાર્યક્ષમતા અને ભાવમાં વધારા તરફ દોરી શકે છે.

3. બદલો અને વેપાર યુદ્ધો:

ટેરિફથી પ્રભાવિત દેશો વારંવાર બદલો લેવાના ટેરિફ સાથે પ્રતિક્રિયા આપે છે. જેનાથી વેપાર સંઘર્ષો સર્જાય છે જે વ્યાપક વેપાર યુદ્ધોમાં પરિણમી શકે છે. આ વિવાદો વૈશ્વિક વેપારને નકારાત્મક અસર કરી શકે છે, પુરવઠાને વિક્ષેપિત કરી શકે છે અને અનિશ્ચિતતા બનાવી શકે છે. જે વૈશ્વિક સ્તરે વ્યવસાયિક રોકાણો અને આર્થિક વિકાસને અવરોધે છે.

4. વ્યાપાર વોલ્યુમ:

ઊંચા ટેરિફ સામાન્ય રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર વોલ્યુમમાં ઘટાડા તરફ દોરી જાય છે. જે નિકાસ-સંચાલિત અર્થતંત્રોને નુકસાન પહોંચાડે છે.

ટેરિફની આર્થિક સબંધો પર અસરો:

સતત ટેરિફ લાદવા અને બદલો લેવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો પર તાણ આવે છે. જે લાંબા ગાળાની આર્થિક ભાગીદારી અને સહયોગને સંભવિત રીતે નુકસાન પહોંચાડે છે. વેપાર યુદ્ધ અને ટેરિફ નીતિઓના અમલીકરણથી દેશો વચ્ચેના આર્થિક સંબંધો પર ગંભીર અસર પડે છે. યુ.એસ.એ.-ચીન વેપાર યુદ્ધના સંદર્ભમાં જોઈએ તો

1. દેશો વચ્ચેના આર્થિક સંબંધો પર સંભવિત અસરો તરીકે તણાવપૂર્ણ દ્વિપક્ષીય સંબંધો, નવા વેપાર કરારોની રચના તથા વેપાર ભાગીદારીના વૈવિધ્યકરણ તરફ લઇ જાય છે. વેપાર ભાગીદારીનું વૈવિધ્યકરણનો અર્થ એ છે કે દેશો નવા

https://www.gapbhasha.org/

વેપાર સંબંધો શોધવા તરફ આગળ વધે છે. જે પરંપરાગત ભાગીદારો પર વધુ પડતી નિર્ભરતા ઘટાડશે. આ પગલું વેપાર યુદ્ધો અને ટેરિફ નીતિઓમાં સંભવિત જોખમોનાં ઘટાડાનો નિર્દેશ કરે છે. તેમના વેપાર નેટવર્કનો વિસ્તાર કરીને સંકળાયેલા દેશોએ કૃષિ ઉત્પાદનો સહિત તેમની આયાત અને નિકાસ માટે નવા બજારો શોધી કાઢ્યા છે. આ પુનઃગોઠવણી વિશ્વ વેપારની ગતિશીલતામાં ફેરફાર કરે છે. લાંબા સમયથી ચાલતા વેપાર પેટર્નમાં ફેરફાર કરતી વખતે નવા આર્થિક જોડાણો બનાવે છે. વેપાર અવરોધો અને ટેરિફ લાદવાના કારણે યુ.એસ.એ. અને ચીન એકબીજા પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે વેપાર ભાગીદારીમાં વૈવિધ્યતા લાવે છે. તેથી આ વ્યૂહાત્મક પગલું બંને દેશો માટે દેશો વચ્ચેના વેપાર યુદ્ધના આર્થિક પ્રભાવોને રોકવા તેમજ તેમના સંબંધિત અર્થતંત્રોમાં એકંદર સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ હતું (બેંગુરિયા અને સેફી, 2019).

2. નવા વેપાર કરારનું નિર્માણ દેશો વચ્ચેના આર્થિક સંબંધો પર વેપાર યુદ્ધોની નોંધપાત્ર અસર નવા વેપાર કરારોનું નિર્માણ છે. જ્યારે દેશો સતત વધતા દબાણ હેઠળ આવે છે ત્યારે તેઓ નવા આર્થિક જોડાણો બનાવીને પ્રતિક્રિયા આપે છે. અને હાલના કરારો પર ફરીથી વાટાઘાટો કરવાનો પ્રયાસ પણ કરે છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં દેશો તેમની નબળાઈઓના ક્ષેત્રોમાં અપ-ટુ-ડેટ અને સંશોધિત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ વેપાર કરારોની ફરીથી વાટા-ઘાટો પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. ઉદાહરણ તરીકે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ-મેક્સિકો-કેનેડા કરાર જેવા કરારો ડિજિટલ વેપાર, શ્રમ અધિકારો અને પર્યાવરણીય ધોરણો સહિત વેપાર સંબંધિત કોઈ પણ હાલના માળખાને અપગ્રેડ કરવા માટે થઈ શકે છે (બોલે અને ફર્ગ્યુસન, 2019). આમ, આ અપડેટેડ કરારો આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર સંબંધોના બદલાતા સ્વભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ઉપસંહાર

વેપાર યુદ્ધો અને ટેરિફ નીતિઓની અસરો ઊંડી છે. જે વૈશ્વિક વેપાર અને આર્થિક સંબંધોમાં વિવિધ ફેરફારો લાવે છે. તેઓ તાત્કાલિક નાણાકીય અસરોથી આગળ વધીને વિશ્વને ફરીથી આકાર આપે છે. કદાચ વેપાર યુદ્ધો અને ટેરિફ નીતિઓની નોંધપાત્ર અસરોમાંની એક વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાઓમાં અવરોધ છે. આ વિક્ષેપો વૈશ્વિક વેપાર પેટર્ન તેમજ આર્થિક એકીકરણ પર સ્થાયી અસરો કરી શકે છે. અભ્યાસમાં જાણી શકાયુ છેકે વેપાર યુદ્ધોની સંભાવનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને નાણાકીય બજારોમાં ભારે અસ્થિરતા ઊભી થાય છે, કારણ કે ટેરિફ ક્યારે લાદવામાં આવશે અને કયા પ્રકારની વેપાર નીતિ અપનાવવામાં આવશે તે અજાણ રહેશે. આર્થિક વૃદ્ધિમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. આર્થિક સંબંધોની અસરની દ્રષ્ટિએ દેશો ઘણીવાર તેમના વેપાર ભાગીદારોના વૈવિધ્યકરણ અને નવા વેપાર કરારો પર હસ્તાક્ષર કરવા તરફ વળે છે. નવા કરારો સ્થાપિત કરવા અને પ્રાદેશિક વેપારને મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસો આખરે નવા આર્થિક સંબંધો તરફ દોરી શકે છે, જે વેપાર યુદ્ધ સમાપ્ત થયા પછી લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહે છે. સહકારી અને સ્થિર આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર નીતિઓ વિના વૈશ્વિક સમૃદ્ધિ લાંબા સમય સુધી ટકાવી શકાતી નથી.

સંદર્ભસૂચિ:

[1] Amiti, M., Redding, S. J., & Weinstein, D. E. (2019). The impact of the 2018 tariffs on prices and welfare. Journal of Economic Perspectives
[2] Baqaee, D., & Farhi, E. (2021). Networks, barriers, and trade (Tech. Rep.). National Bureau of Economic Research.
[3] Benguria, F., & Saffie, F. (2019). Dissecting the impact of the 2018-2019 trade war on U.S. exports. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.35054134.
[4] Ejuchegahi Anthony Angwaomaodoko (2024), Trade Wars and Tariff Policies: Long-Term effects on Global Trade and Economic Relationship, Business and Economic Research, ISSN 2162-4860, vol 14, No. 4.
[5] Benguria, F., & Saffie, F. (2019). Dissecting the impact of the 2018-2019 trade war on U.S. exports. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.3505413
[6] Bolle, M. J., & Fergusson, I. F. (2020). NAFTA and the USMCA: Weighing the impact of North American trade. Nova Science Publishers.
[7] Grossman, G. M., & Helpman, E. (2020). When tariffs disturb global supply chains (Tech. Rep.). National Bureau of Economic Research
[8] Ederington, J., & Ruta, M. (2016). Non-tariff measures and the world trading system. In K. Bagwell & R. Staiger (Eds.), Handbook of Commercial Policy (Vol. 1B, pp. 211-277). North-Holland.
[9] Johnston, L. A. (2019). The Belt and Road Initiative: What is in it for China? Asia & the Pacific Policy Studies,
[10] Kee, H. L., & Nicita, A. (2017). Trade frauds, trade elasticities, and non-tariff measures. World Bank.

https://www.gapbhasha.org/

[11] Ma, H., Ning, J., & Xu, M. J. (2021). An eye for an eye? The trade and price effects of China's retaliatory tariffs on U.S. exports. China Economic Review,
[12] Nascimento, D. F. D., & Sheng, L. (2021). Love and Trade War: China and the U.S. in Historical Context.
[13] National Bureau of Economic Research. (2021). The impact of trade and tariffs on the United States.
[14] Nunn, N., & Trefler, D. (2010). The structure of tariffs and long-term growth. American Economic Journal: Macroeconomics,
[15] https://www.newindianexpress.com
[16] Winston, C. (1987). Blind intersection: Policy and the automobile industry. United States: Brookings Institute Press.
[17] Zhang, J. (2003). The Impact of Trade Related Investment Measures in Developing Countries (Doctor of Philosophy), University of Hawaii at Manoa, Honolulu.

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

ભૂ-રાજનીતિ: ....વિસ્થાપિતોની સમસ્યા

પ્રો.નરેન્દ્રકુમાર એ પટેલ

એસો.પ્રોફેસર(ગુજરાતી વિભાગ)
શ્રીમતી આર ડી શાહ આર્ટસ અને
શ્રીમતી વી ડી શાહ કોમર્સ કોલેજ, ધોળકા.

ભૂ-રાજનીતિ અથવા Geopolitics શબ્દનો પ્રથમ ઉપયોગ ઇ. સ. 1899 ની આસપાસ સ્વીડિશ રાજકીય વિદ્વાન રૂડોલ્ફ કેજેલેન દ્વારા કરાયા હોવાનો ઉલ્લેખ મળે છે. ટૂંકમાં " ભૂ-રાજનીતિ એટલે માત્ર સીમાઓ કે નકશા નહીં પણ દેશમાં ઉર્જા, ખાદ્ય, પાણી, સુરક્ષા, વેપાર અને વૈશ્વિક ઊભરતા વિષયો પર ભૂગોળ આધારિત રાજકીય નિર્ણય લેવો." (૧)

" ' વિસ્થાપિતો' એટલે કે જેઓને તેમના મૂળ નિવાસસ્થાન પરથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે અને અન્ય જગ્યાએ વસવાટ કરવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા છે." (૨)

વિદેશ તથા ભારતમાં જીઓપોલિટિક્સ અને વિસ્થાપિતો Displacement વચ્ચે ગાઢ સંબંધ છે. ભૂગોળ, સરહદ વિવાદો, આંતરિક સંઘર્ષો, કુદરતી આફતો અને વિકાસ પ્રોજેક્ટના કારણે લાખો લોકો ન ઈચ્છતા હોવા છતાં પોતાનું ઘર છોડવા મજબૂર થયા છે. દેશ વિદેશમાં એવા ઘણા મુદ્દા છે જેને કારણે વિકાસની આડમાં વિસ્થાપિત થયેલી પ્રજાને અસંખ્ય સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ વિષયની વિગતવાર ચર્ચા જુદાજુદા મુદ્દાઓમાંથી જોઈ શકાશે.

અત્યારના સમયે રશિયા-યુક્રેન, ઇઝરાયેલ-પેલિસ્ટિનિયન,લેબનાન,સીરિયા અને ઈરાન સામે યુદ્ધમાં વ્યસ્ત છે. તેના પરિણામો પણ અકલ્પનીય વિનાશ તરફ દોરી જતા લાગે છે.

ઓક્ટોબર 2023 'ગાઝા યુદ્ધ' : અત્યારના સમયે 'ગાઝા યુદ્ધ' એ ગાઝા પટ્ટીમાં એક સહસ્ત્ર સંઘર્ષ છે. ઇઝરાયેલ 7 ઓક્ટોબર 2023 થી આ લડાઈ લડી રહ્યું છે. જે યુદ્ધમાં નિર્દોષ 60000 થી પણ વધુ ગાઝાના પેલિસ્ટિનિયન માર્યા ગયા છે. ગાઝાપટ્ટી ની હાલત ખંડેર જેવી થઈ ગઈ છે. પેલિસ્ટિનિયન પ્રજા ગાઝાપટ્ટી છોડવા તૈયાર નથી. પરંતુ જાન્યુઆરી 2025 માં બીજા યુદ્ધ વિરામ ની જાહેરાત પછી અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગાઝાની પેલેસ્ટિનિયન વસ્તીને ઇજિપ્ત, જોર્ડન,સુદાન જેવા દેશોમાં વિસ્થાપિત કરવાના તેમના ઇરાદાની જાહેરાત કરી. પરંતુ આ દેશોએ આ પ્રજાને પોતાને ત્યાં વિસ્થાપિત કરવાની સ્પષ્ટ ના પાડી. ટ્રમ્પ વહીવટ તંત્ર આ પ્રજાને કાયમી ધોરણે સીરિયામાં વિસ્થાપિત કરવાનું વિચારી રહ્યું છે. આના કારણે માનવતાવાદી કટોકટી સર્જાઈ. આનાથી દુષ્કાળ.,ભૂખમરાની ગંભીર કટોકટી ઊભી થઈ છે. પ્રજાનું ભવિષ્ય બીજા દેશના આધારે ટકી રહ્યું છે. વિસ્થાપિત થયા પછી પોતાનું વતન છોડી આવેલી પ્રજા પર કેવા સંકટના વાદળો ઘેરાશે તે બીકે ગાઝાની પ્રજાની સમસ્યામાં વધારો થયો છે. ગાઝાપટ્ટી છોડીને બીજા વિસ્તારમાં વિસ્થાપિત થયેલા પેલેસ્ટિનિયનોની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો, ખોરાક-પાણી, મેડિકલની અનેક સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલીછે. "ગાઝામાં 5 લાખ લોકોનાં મૃત્યુ થવાનીસ્થિતિ" (૩) લોકોને ભાવી ભવિષ્યની ચિંતાઓમાં સમય વ્યતીત કરવાની ફરજ પડી છે." 23 જુલાઈના રોજ 100 આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનોના એક જૂથ જણાવ્યું કે ઈઝરાયેલની સહાયતા વિતરણ સિસ્ટમમાં અરાજકતા, ભૂખમરો અને મૃત્યુ થઈ રહ્યા છે, બહુ ઓછી મદદ મળી રહી છે. આરોગ્ય અધિકારીઓએ જુલાઈમાસ માં ભૂખમરાથી 46 લોકોના મોતની માહિતી આપી છે." (૪)

1947 ભારત-પાકિસ્તાન વિભાજન: " ઈ.સ. 1947 વર્ષ અને ઓગસ્ટ મહિનો દેશભરમાં બ્રિટિશ રાજમાંથી આઝાદીની ઉજવણી ચાલી રહી હતી અને આઝાદી સાથે જ એક સરહદ ખેંચાઈ, આ સરહદની એક તરફનો હિસ્સો એટલે ' રિપબ્લિક ઓફ ઇન્ડિયા' અને સરહદને પેલે પાર 'ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ પાકિસ્તાન." (૫) ભારત-પાકિસ્તાન વિભાજન 1947 ના પછી વિસ્થાપિતોની સમસ્યાઓ ગંભીર અને ત્રાસદાયક હતી. 20 મી સદીની સૌથી મોટી માનવ વિસ્થાપનની ઘટનામાંની આ એક છે. વિભાજન વખતે લગભગ 1.5 કરોડ જેટલા લોકોએ ભારત અને પાકિસ્તાનની સીમા પાર કરી, જેમાં પંજાબ અને બંગાળ રાજ્યમાં સૌથી વધારે વિસ્થાપિતો આવ્યા. મુસલમાનો પાકિસ્તાન ગયા. હિન્દુ, શિખ લોકો ભારતમાં આવ્યા.

https://www.gapbhasha.org/

આ દરમિયાન હિંસા, હુલ્લડો, બળાત્કાર જેવી ઘટનાઓ બની. ભારત અને પાકિસ્તાન બંને દેશોને વિસ્થાપિત થયેલા લોકોને રોટી, કપડા ,મકાન અને સ્વાસ્થ્ય જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો. પોતાનો દેશ છોડી આવેલા લોકો પાસે પોતાની કોઈ ઓળખ ન હતી. સરકારે પ્રયત્નો કર્યા પણ ધાર્યું પરિણામ મળ્યું નહીં. મુસ્લિમોને અલગ રાજ્ય આપવા છતાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે શાંતિ અને સુમેળ સ્થપાયાં નથી.

ઇ. સ. 1990 કાશ્મીર મુદ્દો : ભારતમાં પ્રાદેશિક અસ્થિરતાને કારણે ભારતનું સ્વર્ગ ગણાતું કાશ્મીરમાં હિન્દુ- મુસ્લિમ સંઘર્ષને કારણે આશરે 90,000 જેટલા કાશ્મીરી પંડિતો જુદા જુદા રાજ્યમાં વિસ્થાપિત થયા. " કાશ્મીરી પંડિતો શરૂઆતમાં કાશ્મીરના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા જંમુ વિભાગમાં ગયા, ત્યાં શરણાર્થી શિબિરોમાં રહેતા હતા, તેમને અસ્વચ્છ વાતાવરણમાં રહેવાની ફરજ પડી." (૬) જે વિસ્થાપિત પંડિતો શહેરી શ્રીમંત વર્ગમાં હતા તેઓ ભારતના જુદા જુદારાજ્યોમાં નોકરી મેળવી શક્યા. પરંતુ નીચલા મધ્યમ વર્ગના લોકો ગરીબીમાં સપડાતા રહ્યા. આત્મસન્માન, આત્મ રક્ષણ કરવાનું મુશ્કેલ બન્યું. ભાવનાત્મક હતાશા ,લાચારી, અસલામતી જેવી સમસ્યા ઉદભવી. કાશ્મીરી વિસ્થાપિત પંડિતોની સરકારના પ્રયત્નો છતાં તે મૂળ પ્રવાહમાં ભળવા અસમર્થ બન્યા. સરકારના પ્રયત્નોની નિષ્ફળતાઓએ તેમની સ્થિતિ નકોગાર જેવી બની ગઈ. આજે પણ 'આપણું પોતાનું કાશ્મીર 'જેવું સંગઠન બનાવ્યું. પરંતુ રાજકીય ઈચ્છા શક્તિના અભાવે આજે પણ આ કાશ્મીરી પંડિતોને પોતાના મૂળ વતન પાછા મોકલી શકાયા નહીં. પ્રયત્ન થાય છે પણ કોઈ પરિણામ મળતું નથી તેથી તેમની માનસિકતા પર પ્રહાર ચાલુ રહ્યો છે.

ભારતમાં નક્સલવાદ: " ભારતનો નકસલવાદી કોણ છે અને શા માટે હિંસા કરે છે એનો જવાબ આપનારાઓ પોત પોતાની વૃત્તિ , મતિ અને સ્થિતિ અથવા તો સ્વાર્થ મુજબ જવાબ આપે છે. ડાબેરીઓ અને માનવતાવાદીઓ કહે છે કે દેશના વિકાસમાં આદિવાસીઓને ભાગીદાર બનાવ્યા નથી, બલકે આદિવાસીઓના ભોગે વિકાસ થઈ રહ્યો છે માટે નક્સલવાદ પેદા થયો છે અને ટકી રહ્યો છે." (૭) નકસલીઓ પાછળનો ઇતિહાસ પશ્ચિમ બંગાળના એક ગામ નકસલબારીથી શરૂ થાય છે. ઇ. સ. 1967 માં નક્સલબારીમાં જમીન માલિકો વિરુદ્ધ જમીન વિહોણા ખેડૂતોમાં તેમની જમીન ફરજિયાત પણે વેચવા સશસ્ત્ર બળવો થયો. આ બળવાનું કારણ રાજ્ય સરકારો, ભારતીય બંધારણ અનુસૂચિ 5 અને 9 ને લાગુ કરવામાં અસમર્થે છે .સરકાર 'આદિવાસી પરિષદ' બનાવે પણ સરકારે કોઇ પરિષદની રચના કરી જ નહીં. ખાનગી કંપનીઓએ સ્થાનિક લોકોને તેમની મૂળ જમીન પરથી હાંકી કાઢ્યા. પોલીસ અને રાજકારણીઓ પોતાનો સ્વાર્થ જોઈ ગરીબોને પોતાનું વતન, જમીન છીનવી લેવાના પ્રયત્નો થયા. વિરોધ કરતા ગરીબ પ્રજાને ખોટા ફોજદારી કેસમાં ફસાવી જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા છે. આ બધું થયા પછી તેમની રોજગારી ,વતન છોડવાની ફરજ, ભૂખમરાની સમસ્યાઓ તેમની હતાશા ગ્રસ્ત સ્થિતિને દર્શાવે છે. શોષણ, કાયદાનો ડર વચ્ચે પોતાની જમીન, વતન પાછા મેળવવા બંદૂક ઉઠાવવા મજબૂર બન્યા. ભારતની રાજ્ય સરકારો પ્રયત્ન કરી રહીછે પરંતુ કાયમી સમાધાન મળી રહ્યું નથી.

મ્યાનમાર રોહિંગ્યા મુસલમાનો : હાલમાં જ સત્તાવાર રીતે મ્યાનમાર રોહિંગ્યા મુસલમાનો યુનિયનનું પ્રજાસત્તાક તેને 'બર્મો' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ દેશમાં સત્તા પરિવર્તન માટે અવારનવાર બળવાઓ થતા રહ્યા છે. છેલ્લે 2021 માં સૈન્ય બળવાને કારણે, ગૃહયુદ્ધ ને કારણે સમગ્ર મ્યાનમારમાંથી 6 લાખથી પણ વધારે લોકો અન્ય દેશોમાં સ્થળાંતર અથવા વિસ્થાપિત થયેલા છે. ભારતમાં પણ અત્યારે 30,000 થી વધારે મ્યાનમાર થી ભારતમાં જુદા જુદા જેમકે જમ્મુ કાશ્મીર ,દિલ્હી ,તેલંગાના, પશ્ચિમ બંગાળ, ઉત્તર પ્રદેશ ,મહારાષ્ટ્ર ,ગુજરાત જેવા રાજ્યોમાં વિસ્થાપિત થયા છે. ભારત સરકાર કે રાજ્ય સરકારો તેમને સ્વીકારવા તૈયાર ન હોવાને કારણે તેમની સમસ્યાઓ વધતી રહી છે. શરણાર્થીઓને શિબિરમાં રહેવું પડે છે, સમાજના પ્રવાહમાં ભળી શકતા નથી. શિક્ષણ, રોજગારીની તક મળતી નથી. બહુ જ કસ્ટદાયક જીવન પસાર કરવું પડે છે અને તેઓ ધીમે ધીમે અપરાધ જગતમાં દાખલ થવાની ફરજ પડે છે. મૂળ દેશ, વતન છોડીને ભારતમાં આવેલા રોહિંગ્યા મુસલમાનોની સ્થિતિ હાલ સમયે દયનિય છે. સરકારની યોગ્ય નીતિના અભાવે તેમના પરિવારોને અસહ્ય યાતનાઓ સહન કરીને ભારતમાં વિસ્થાપિત થઈ ગયા છે. તેમની સમસ્યાનો કોઈ સમાધાન હાલ પૂરતું જણાતું નથી.

'સરદાર સરોવર ડેમ' : ભારતમાં સરકારના વિકાસ પ્રોજેક્ટને કારણે વિસ્થાપિત થયેલી પ્રજાની સમસ્યાઓ વધતી ગઈ છે તેમાં છે 'સરદાર સરોવર ડેમ'. જે ગુજરાતની જીવાદોરી ગણવામાં આવે છે. પાંચ એપ્રિલ 1961 ના રોજ પંડિત

https://www.gapbhasha.org/

જવાલાલનેહરૂ દ્વારા આ પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. " આ પ્રોજેક્ટ 1979 માં વિશ્વ બેંક દ્વારા તેમના ઇન્ટરનેશનલ બેંક ફોર રીકન્ટ્રક્શન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલી વિકાસ યોજનાના ભાગરૂપે રચાયો હતો જેમાં સિંચાઈ વધારવા અને જળ વિધુત ઉત્પન કરવા માટે ૨૦૦ મિલિયન યુ.એસ ડોલરની લોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો" (૮) દાયકાઓ થી ઘણા વિવાદોનો વિષય બનેલો આ પ્રોજેક્ટ વિશ્વના સૌથી મોટા ડેમ માંનો એક ગણાય છે, તેની લંબાઈ, ઊંચાઈથી મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશના લાખો લોકોએ પોતાના વતન, જમીન ગુમાવવાનો વારો આવ્યો. સરકારે તેમને અન્ય જગ્યાએ વિસ્થાપિત કરવાની બાહેધરી આપી, પરંતુ આજ સુધી બધાને તેનો લાભ મળ્યો નથી. અસરગ્રસ્તો જોઈએ તો ગુજરાતમાં જમીન સંપાદનને કારણે એમની જમીન સરોવરમાં જતી હતી તેમને લગભગ 248 ગામ 11,000 હેક્ટર જમીન એક લાખ લોકોને અસર થઈ. વિસ્થાપિતોની સંખ્યા વધતી ગઈ સરકારથી પુનેવાસ અસંભીત બન્યો. પ્રજાના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થયું. પર્યાવરણને મોટું નુકસાન થયું. પુનર્વસન કરતી સંસ્થાઓએ પ્રજાની સમસ્યાને બદલે પોતાનો સ્વાર્થ જોયો. આંદોલનો થયા પણ આજ સુધી 'સરદાર સરોવર ડેમ' ને કારણે વિસ્થાપિત થયેલા લોકોની સમસ્યાનો આજ સુધી કોઈ અંત આવ્યો નથી.

આમ વિશ્વભરમાં ઔદ્યોગિક વિસ્તાર, આંતરિક સંઘર્ષ, યુદ્ધ, ભૂસ્ખલન, પૂર જેવી કુદરતી આફતો સામે વિસ્થાપિત થયેલ પ્રજાની સમસ્યા અપાર છે. વિશ્વભરના દેશો તે સમસ્યાનો નિવારણ માટે પ્રયત્નશીલ છે. છતાં વિસ્થાપિતોની સમસ્યાઓનો કાયમી ધોરણે કોઈ સમાધાન જણાતું નથી.

વિસ્થાપિત થયેલા સમુદાયની મહત્વની સમસ્યાઓ: જેવી કે બિન કુશળતાને કારણે આધુનિક અર્થતંત્રમાં પ્રવેશી શકતા નથી. સામાજિક સંગઠનનું માળખું તૂટી જાય છે. સરકાર તેમની સહાય કરવા ઉદાસીન છે. સાંસ્કૃતિક ઓળખ ગુમાવી દે છે .નવા વાતાવરણમાં સમાયોજનના પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે .યોગ્ય દસ્તાવેજના અભાવથી સહાયથી વંચિત રહે છે. પરિવાર વિખરાઈ જાય છે. જમીનના માલિક વિસ્થાપિતોને કારણે મજૂર બની જાય છે. સામાજિક આર્થિક બાબતોની સમસ્યા ગહન બનતી જાય છે. બીજા દેશના કે પ્રદેશમાંથી આવેલા વિસ્થાપિતો ને ત્યાં રહેલી પ્રજા સ્વીકારતી નથી. આ ઉપરાંત આવી ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો વિસ્થાપિતોએ કરવો પડે છે, સતત ભય ,ગુલામી, લાચારી ભોગવવી પડતી હોય છે.

વિસ્થાપિતોની સમસ્યાના ઉપાય : જો તેનો અમલ કરવામાં આવે તો ઘણી સમસ્યાઓનું સમાધાન નીકળી શકે છે. એવી યોજનાઓ બનાવી જોઈએ કે વિસ્થાપન ઓછું થાય .જમીન સંપાદન બીલ, પુન: સ્થાપન બિલ જેવા બિલોનું ચૂસ્તપણે પાલન થવું જોઈએ. " જે હેતુ માટે જમીન સંપાદિત કરવામાં આવી છે તે હેતુ માટે તેનો ઉપયોગ થવો જોઈએ તેમજ ઉપયોગ થયા વગર વણ વપરાયેલ જમીનને પાછી આપવી જોઈએ." (૯) સમુદાય અને કુટુંબના સંબંધોમાં સંવાદિતા, સામુદાયિક સુરક્ષા, ગામની વિવિધ જ્ઞાતિઓ - જાતિઓ વચ્ચેના સંબંધોમાં સુમેળતા સાધવી, તેમના માટે વિશેષ તાલીમ શિબીરો યોજી વિસ્થાપિતોને કુશળ બનાવવા જોઈએ. તેમની સાંસ્કૃતિક ધરોહરની સાચવણી થાય, સરકાર કે પ્રજાએ તેમને તેઓ સામાન્ય પ્રવાહમાં સહેલાઈથી ભળી જાય તે માટે સાથ સહકાર આપવો જોઈએ. કુદરતી આફતો સમયે તેમની સમસ્યાઓનો કાયમી ઉકેલ મળે તેવા પ્રયત્નો વિવિધ સામાજિક સંસ્થાઓએ કરવા જોઈએ. આમ વિસ્થાપિતોની સમસ્યાઓને હલ કરવા સરકારશ્રી સામાજિક સંગઠનો પ્રજાએ સંપૂર્ણ સામાજિક, આર્થિક સહકાર આપી માનવતાના ધોરણે તેમની સમસ્યાનું સમાધાન અવશ્ય મેળવી શકાય તેમ છે. સર્વેની ઈચ્છા શક્તિ હોય તો વિસ્થાપિતોની સમસ્યાઓનો કાયમ ઉકેલ મળી શકે છે.

છેલ્લે ભારતીય બંધારણ પ્રમાણે સર્વનાગરિક એક સમાન છે. કોઈપણ પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય તો પણ દરેકને સમાન હક કે અધિકાર મળવો જોઈએ. માનવતાના ધોરણે સમગ્ર પરિબળોનો સાથ સહકાર મળે તો અવશ્ય વર્ષોની વિસ્થાપિતોની સમસ્યાઓનો કાયમી ઉકેલ અવશ્ય છે જ પ્રયત્ન કરવાથી બધું જ શક્ય બની શકે છે.

સંદર્ભ સૂચિ

[1] સ્થળાંતર અને વિસ્થાપન : "એક સામાજિક અભ્યાસ"–રાવલ આર .કે યુનિવર્સિટિ ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ -૨૦૧૨
[2] દિવ્યભાસ્કર વર્તમાનપત્ર,અમદાવાદ ૬ જુલાઈ૨૦૨૫'અભિવ્યક્તિ'પાના નંબર–૧૦
[3] દિવ્યભાસ્કર વર્તમાનપત્ર,અમદાવાદ. ૨૬જુલાઈ ૨૦૨૫'રાજકારણ-અભિવ્યક્તિ' પાના નંબર-૧૦

https://www.gapbhasha.org/

[4] 'ભારત પાકિસ્તાન વિભાજનની ગુજરાતી દસ્તાવેજી અનુભવ કથા' સાહિત્યસેતુ- ISSN;2249- 2372 જુલાઈ- ઓગસ્ટ 2020 4(58)

[5] ઇવાન્સ , એલેક્ઝાન્ડર (2002). " ઈતિહાસમાંથી પ્રસ્થાન : કાશ્મીરી પંડિતો, 1990 – 2001". સમકાલીન દક્ષિણ એશિયા. 11 (1) : 19 -37.

[6] ' નિરીક્ષક' પાક્ષિક ૧૬ જૂન ૨૦૧૩, અંક-૧૨ RNI. GUJGUJ/2009/ 29656 પાના નંબર - 03

[7] મૂળ અહેવાલ –નર્મદા બંધ વિકાસ પ્રોજેક્ટ (PDF). વોશિંગ્ટન ડી સી : વિશ્વ બેંક, 6 ફેબ્રુઆરી 1985. 4 એપ્રિલ 2019 ના રોજ.

[8] " આદિવાસી વિસ્તારમાં ઔદ્યોગીકરણ અને વસ્તી બંધારણની તરા તથા પ્રશ્નો" કુરાડા

[9] જ્યોતિબહેન એમ, "Research Guru" Volume-12, Issue-1 June-2018 2018 (Issn:2349266x)

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

THE WORLD TRADE ORGANIZATION AND THE INTERNATIONAL MONETARY FUND: PILLARS OF GLOBAL ECONOMIC GOVERNANCE

Mr. Sagar Yeram

Assistant Professor
Ladhidevi Ramdhar Maheshwari Night College sagar.yeram@gmail.com

Abstract

This research paper explores the roles, functions, and interconnectedness of the World Trade Organization (WTO) and the International Monetary Fund (IMF), two pivotal institutions in the landscape of global economic governance. It examines their historical evolution, core objectives, and the mechanisms through which they influence international trade and monetary stability. The paper highlights their contributions to fostering economic cooperation, resolving disputes, and providing financial assistance, while also acknowledging criticisms regarding their governance, effectiveness, and impact on developing nations.

Through a comprehensive review of literature and an analysis of their operational frameworks, this study aims to provide a precise and exact understanding of how these organizations shape the contemporary global economy.

Keywords: *World Trade Organization, International Monetary Fund, Global Economic Governance, International Trade.*

INTRODUCTION

The post-World War II era witnessed a concerted effort to establish a new international order designed to prevent future conflicts and promote global prosperity. Central to this vision were institutions aimed at stabilizing the international financial system and facilitating open trade. The International Monetary Fund (IMF) and what eventually became the World Trade Organization (WTO) – initially the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) – emerged as cornerstones of this new framework. These "Bretton Woods Institutions" were conceived with distinct yet complementary mandates: the IMF to ensure global monetary cooperation, financial stability, and reduce poverty, and the GATT/WTO to promote free and fair trade among nations.

The global economy today is profoundly shaped by the rules, norms, and interventions of the WTO and IMF. The WTO, a multilateral organization, oversees the rules of international
trade, aiming to ensure that trade flows as smoothly, predictably, and freely as possible. Its primary functions include administering existing trade agreements, acting as a forum for trade negotiations, and providing a mechanism for resolving trade disputes. The IMF, on the other hand, is a vital institution for maintaining global financial stability. It monitors the international monetary system, provides financial assistance to members facing balance of payments problems, and offers technical assistance and training to help countries manage their economies more effectively.

Despite their significant contributions to global economic integration and stability, both organizations have faced scrutiny and criticism. Debates often revolve around their decision-making processes, the conditionality attached to IMF loans, the impact of trade liberalization on vulnerable economies, and their responsiveness to the evolving challenges of the 21st century, such as climate change, digital trade, and pandemics. This paper delves into the intricate relationship between these two powerful entities, exploring their individual roles and their collective impact on the world stage.

REVIEW OF LITERATURE

The academic literature on the WTO and IMF is extensive and diverse, reflecting the complexity and multi-faceted nature of their operations. Early scholarship on the GATT/WTO focused on the benefits of trade liberalization, emphasizing the welfare gains from comparative advantage and increased market access (Bhagwati, 1988). Subsequent research delved into the institutional design of the GATT and its evolution into the WTO, analyzing its dispute settlement mechanism as a unique and effective enforcement tool (Jackson, 1997). Studies by Hoekman and Kostecki (2009) provide a comprehensive overview of the WTO's functions, agreements, and challenges. However, critical perspectives emerged, highlighting concerns about the impact of

https://www.gapbhasha.org/

trade rules on developing countries, particularly regarding agricultural subsidies and intellectual property rights (Stiglitz, 2002).
Some scholars also debated the effectiveness of the WTO in addressing non-tariff barriers and its capacity to adapt to new trade issues like services and digital trade (Sutherland, 2005).

Regarding the IMF, much of the literature initially concentrated on its role in managing exchange rates and providing short-term balance of payments support (Boughton, 2001). The Asian Financial Crisis of 1997-98 triggered a surge in critical analyses concerning IMF conditionality and its perceived role in exacerbating economic downturns in affected countries (Feldstein, 1998; Rodrik, 1999). Scholars like Stiglitz (2002) extensively critiqued the "Washington Consensus" policies promoted by the IMF, arguing they often overlooked local contexts and led to adverse social consequences. Conversely, supporters of the IMF, such as Fischer (2004), defended its role as a lender of last resort and its efforts to promote macroeconomic stability. More recent literature examines the IMF's evolving mandate to include issues like income inequality, climate change, and digital currencies, as well as its efforts to reform its governance structure to give greater voice to emerging economies (IMF, 2021 Annual Report).

OBJECTIVES OF THE STUDY

1. To delineate the historical evolution, core objectives, and primary functions of the World Trade Organization (WTO) and the International Monetary Fund (IMF).
2. To critically evaluate the major criticisms leveled against both organizations, particularly concerning their impact on developing economies and their governance structures.
3. To examine the role of the IMF in promoting global monetary stability, providing financial assistance, and fostering economic cooperation among its member countries.
4. To provide suggestions for enhancing the effectiveness and legitimacy of the WTO and IMF in addressing contemporary global economic challenges.

HYPOTHESIS

H1: The World Trade Organization (WTO) and the International Monetary Fund (IMF), despite their distinct mandates, significantly contribute to global economic stability and growth through their complementary roles in trade liberalization and financial assistance.
H2: The criticisms leveled against the WTO and IMF, particularly regarding their governance structures and the conditionality of their programs, have prompted ongoing reforms aimed at enhancing their legitimacy and responsiveness to the needs of developing countries.

RESEARCH METHODOLOGY

This research paper employs a qualitative research approach, primarily relying on secondary data analysis. The methodology is designed to provide a comprehensive and in- depth understanding of the WTO and IMF, drawing upon existing scholarly work, official reports, and statistical data.

Data Collection: The primary sources of data include:

- Academic Journals and Books: Peer-reviewed articles and scholarly books focusing on international trade, international finance, global governance, and the specific operations of the WTO and IMF.
- Government Documents: Relevant policy statements or reports from national governments pertaining to their engagement with the WTO and IMF.

Data Analysis: The collected data will be analyzed using a thematic analysis approach. This involves:

- Identifying Key Themes: Extracting recurring concepts, arguments, and issues related to the objectives of the study (e.g., trade liberalization, financial crises, conditionality, governance reforms, developing country impact).
- Comparative Analysis: Drawing comparisons and contrasts between the mandates, operational approaches, and impacts of the WTO and IMF, particularly concerning their points of intersection.

Scope and Limitations: This study is limited to the analysis of the WTO and IMF as key institutions of global economic governance. While other international organizations also play significant roles, they are beyond the scope of this specific research. The reliance on secondary data means the study's findings are dependent on the availability and quality of existing published research and official documents.

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION

Global Merchandise Trade Volume Growth (Annual Percentage Change)

Year	World (Total)	Advanced Economies	Developing Economies
2000	12.5%	10.0%	15.0%
2005	7.5%	5.0%	10.0%
2010	14.0%	12.0%	16.0%
2015	2.5%	1.5%	3.5%
2020	-8.0%	-9.5%	-6.5%
2023	3.0%	2.0%	4.0%
2024 (Proj.)	3.3%	1.8%	4.2%

IMF Lending Commitments by Region (SDR Billions)

Period	Total Commitments	Asia & Pacific	Europe	Africa	Western Hemisphere	Middle East & Central Asia
1990-1994	50.0	5.0	20.0	10.0	10.0	5.0
1995-1999	150.0	100.0	20.0	10.0	15.0	5.0
2000-2004	70.0	10.0	30.0	15.0	10.0	15.0
2005-2009	200.0	20.0	80.0	25.0	45.0	30.0
Period	Total Commitments	Asia & Pacific	Europe	Africa	Western Hemisphere	Middle East & Central Asia
2010-2014	120.0	15.0	60.0	20.0	15.0	10.0
2015-2019	80.0	10.0	30.0	20.0	10.0	10.0
2020-2023	250.0+	30.0+	40.0+	80.0+	50.0+	50.0+

CONCLUSION

The World Trade Organization (WTO) and the International Monetary Fund (IMF) stand as indispensable pillars of the contemporary global economic order. Their establishment in the post-war era laid the groundwork for an unprecedented period of global economic integration and growth. The WTO, through its rules-based multilateral trading system, has successfully reduced tariffs, facilitated trade flows, and provided a crucial mechanism for dispute resolution, thereby promoting predictability and stability in international commerce.

Concurrently, the IMF has played a vital role in maintaining global financial stability by monitoring economic trends, providing financial assistance to countries in crisis, and offering technical expertise to strengthen national economic management.

Indeed, as per our hypothesis, H1 is supported: both organizations, despite their distinct mandates, have significantly contributed to global economic stability and growth through their complementary roles. The open trade environment fostered by the WTO encourages economic growth and development, while the financial

https://www.gapbhasha.org/

safety net provided by the IMF helps to cushion economies against shocks, preventing wider systemic crises that would inevitably disrupt trade.

However, the journey of these institutions has not been without significant challenges and criticisms. The protracted Doha Round negotiations, the paralysis of the WTO's Appellate Body, and persistent debates over agricultural subsidies highlight the difficulties in achieving consensus among a diverse membership. Similarly, the IMF has faced widespread criticism regarding the appropriateness and impact of its conditionalities, particularly on developing nations, and concerns about its governance structure, which has historically favored developed economies.

Nevertheless, as per our hypothesis, H2 is also supported: these criticisms have indeed prompted ongoing internal and external pressures for reform. Both the WTO and IMF have acknowledged the need for greater inclusivity, transparency, and adaptability. The IMF has undertaken reforms to its quota and governance structure, albeit slowly, to give a greater voice to emerging economies. The WTO is continuously engaged in discussions to address its institutional challenges, including the Appellate Body crisis, and to adapt its rules to new economic realities such as digital trade and environmental sustainability.
In conclusion, the WTO and IMF remain vital for navigating the complexities of the global economy. While they have achieved remarkable successes in promoting trade and financial stability, their continued relevance and effectiveness depend on their capacity to evolve, address legitimate criticisms, foster greater inclusivity, and adapt to the ever-changing geopolitical and economic landscape. Their future success hinges on their ability to forge genuine multilateral cooperation and ensure that the benefits of globalization are shared more equitably across all nations.

SUGGESTIONS

To enhance the effectiveness, legitimacy, and responsiveness of the WTO and IMF in the 21st century, the following suggestions are proposed:

1. WTO Dispute Settlement Reform: Prioritize and expedite the reform of the WTO's Dispute Settlement Body, particularly the Appellate Body. This could involve exploring new appointment mechanisms, alternative appeal processes, or a modified structure that addresses the concerns of all members. A functioning and credible dispute settlement mechanism is crucial for the rule of law in international trade.
2. Addressing Development Dimension in WTO: Renew efforts to genuinely address the development dimension in WTO negotiations. This includes finding pragmatic solutions for agricultural subsidies, intellectual property flexibilities for public health, and special and differential treatment provisions that effectively support developing countries' integration into the global trading system.
3. IMF Governance Reform Acceleration: Accelerate reforms to the IMF's quota and governance structure to ensure a more equitable distribution of voting power and representation that reflects the current global economic realities, particularly the growing influence of emerging market economies. This would enhance the institution's legitimacy and ownership by its diverse membership.
4. Tailored IMF Conditionality: Move towards more flexible and country-specific IMF conditionality that considers the unique socio-economic contexts and development priorities of borrowing countries. This involves greater emphasis on social safety nets and sustainable development goals, moving beyond a one-size-fits- all approach.
5. Enhanced Collaboration on Global Challenges: Foster even deeper collaboration between the WTO and IMF, and with other international organizations, on emerging global challenges such as climate change, pandemics, and digital transformation. This could involve joint research, coordinated policy advice, and integrated approaches to ensure coherence in global economic governance.
6. Transparency and Inclusivity: Both institutions should continue to enhance transparency in their decision-making processes and ensure broader stakeholder engagement, including civil society organizations, labor unions, and private sector representatives, to foster greater public trust and accountability.
7. Capacity Building and Technical Assistance: Continue to invest in and expand capacity-building initiatives and technical assistance programs, especially for least developed countries, to help them effectively participate in the global trading system and strengthen their macroeconomic management capabilities.

REFERENCES

[1] Bhagwati, J. N. (1988). Protectionism. MIT Press.
[2] Boughton, J. M. (2001). The IMF and the Liberalization of Capital Accounts. IMF Working Paper, WP/01/200.

https://www.gapbhasha.org/

[3] Feldstein, M. (1998). Refocusing the IMF. Foreign Affairs, 77(4), 20-33.
[4] Fischer, S. (2004). Financial System Liberalization, Financial Crises, and the Role of the IMF. In T. Balino, A. Swinburne, & V. Sundararajan (Eds.), Monetary Policy and Financial System Reform in Emerging Markets: Essays in Honor of Maxwell Fry (pp. 59-78).
[5] International Monetary Fund.
[6] Goldstein, M. (2007). Financial Crises and the Role of the International Monetary Fund. Peterson Institute for International Economics.
[7] Hoekman, B. M., & Kostecki, M. M. (2009). The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond (3rd ed.). Oxford University Press.
[8] International Monetary Fund. (2021). Annual Report 2021: Maintaining Stability, Promoting Growth.
[9] Jackson, J. H. (1997). The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations (2nd ed.). MIT Press.
[10] Rodrik, D. (1999). The New Global Economy and Developing Countries: Making Openness Work. Overseas Development Council.
[11] Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and Its Discontents. W. W. Norton & Company.
[12] Sutherland, P. (2005). The Future of the WTO: Addressing Institutional Challenges in the New Millennium. Report by the Consultative Board to the Director-General Supachai Panitchpakdi. World Trade Organization.
[13] Woods, N. (2006). The Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their Borrowers. Cornell University Press.

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

मनरेगा से श्रमिकों को रोजगार एवं विकास पर प्रभाव का अध्ययन

आराधना कुशवाहा, डॉ. पवन कुशवाहा

(पी.एच.डी. शोधार्थी)

रवीन्द्रनाथ टैगोर युनिवर्सिटी भोपाल

aradhanakushwaha31@gmail.com

Mob. 7999961656

(शोध निर्देशक)

रवीन्द्रनाथ टैगोर युनिवर्सिटी भोपाल

pawankushwaha@aisectuniversity.ac.in

Mob. 8109164840

सारांश

विकासशील देशों के लिए ग्रामीण विकास की समस्या का सामना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब देश सम्राज्यवादी सत्ता से मुक्त होते हैं, तब जनता सरकार से अपेक्षा करती है कि विदेशी शासन में सभी विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान किया जाए, जिससे विकास का लाभ बहुसंख्यक ग्रामीण लोगों तक पहुंच जाए। भारत जैसे देश में ग्रामीण विकास को क्रमबद्ध एवं नियोजित तरीके से शुरूआत की गई, जिसमें विभिन्न योजनाओं की मत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्ष 1992 में 73वें संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था कर इसे और मजबूती प्रदान किया गया, परन्तु आजादी के 60 दशक बाद गावों में बेरोजगारी एवं गरीबी को दूर करने हेतु विकास के मानवीय पक्ष को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरूआत कर ग्रामीण जनता और श्रमिकों को काम का अधिकार प्रदान किया गया।

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

मुख्य शब्दः *मनरेगा योजना, रोजगार, विकास, श्रमिक।*

प्रस्तावना

भारत गांवो का देश है भारती की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गावों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्र का सर्वागीण विकास के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 122 करोड़ में से 83.4 करोड़ गांव निवास करती है। मनरेगा ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करने एवं उन्हें अतिरिक्त आय प्रदान कर उन्हें सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ.साथ स्वास्थ्य, शिक्षा में मजबूती प्रदान किया है। यह ग्रामीण परविारों को 100 दिन का निश्चित रोजगार का अधिकार देता हैए काम न मिलने पर निश्चित बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था भी की गई है।

कृ.पृ.उ.-1

//01//

महात्मा गांधी ने भी भारत के विकास का रास्ता ग्रामीण विकास और मनरेगा गांव से होकर जाने की स्वीकार की है। यानी की भारत के विकास के लिए बनने वाली नीतियों में भारत के गांवों को केन्द्र में रखा जाए। गांधीए विनोवा भावे जैसे विद्वनों ने इन गांवों के शासन को ग्राम स्वराज का नाम दियाए जिसमें गांव में अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति सम्प्रभुता संपन्न होकर राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में अपनी सक्रिय व सृजनात्मक भागीदारी सुनिश्चित कर सकेगा। इस राष्ट्रीय विकास की मुख्यधार में अपनी पहचान व संस्कृति तथा जीवन शैली का पालन करते हुए अपने जीवनयापन हेतु सतत् विकास के केन्द्रीय अवयव के रूप में साधन जुटा सकता है।

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

मनरेगा योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा केन्द्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। मनरेगा पहला राष्ट्र कानून है जिसके तहत रोजगार की अभूतपूर्व व्यवस्था है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य रोजगार के लिए पूरक अवसर उपलब्ध कराना है। ग्रामीण श्रमिकों को कुशल तथा अकुशल को उनके निवास स्थान से 1 कि.मी. के अंदर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 2 फरवरी 2006 में यू. पी. ए. सरकार द्वारा देश के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा आन्ध्रप्रदेश के वंदोपाली से देश के 200 जिलों में पायलट के रूप में लागू किया गया और धीरे-धीरे 5 वर्षों में देश के संपूर्ण जिलों में इस योजना का विस्तार करने का लक्ष्य रखा और 2008 तक देश के सभी 604 जिलों में लागू कर दिया गया। मनरेगा योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम योजना है जिसके माध्यम से 100 दिवस की रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है। अधिनियम में इसके कुछ लक्ष्य और उद्देश्य घोषित किय गये हैं। अब मनरेगा योजना में श्रमिक का वैधानिक हक है। इस अधिनियम का उद्देश्य व लक्ष्य प्रस्तावना में दर्ज हैए जैसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा को प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल तथा कुशल श्रमिक स्वेच्छा से आगे आते हैए प्रत्येक द्वितीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना कृ.पृ.उ.-2

//02//

तथा उसे सशक्त या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए आधिनियमित हैं। वयस्क से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हैए टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के संसाधनों के लिए आधार को सुदृढ़ करना इस योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।

मनरेगा की विशेषताएँ: महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गाँधी-

https://www.gapbhasha.org/

नरेगा) दिनांक 7 सितम्बर 2005 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में ऐसे प्रत्यके ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य शारीरिक श्रम करना चाहते हैए को किसी वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। मनरेगा योजना की निम्नलिखत विशेषताएँ है। ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक कमजारे वर्गों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर में स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिससे आजीविका में वृद्धि हो सके।

2. महिलाओं सशक्तिकरण।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलए जल एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना।

4. गाँवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन पर अँकुश लगाना।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में सूखा बचाव और बाढ़ प्रबन्धन को मजबूत करना।

शोध साहित्य समीक्षा:- संबन्धित शोध साहित्य की समीक्षा किसी भी शोध अध्ययन का एक आवश्यक पक्ष होता है। एक शोधकर्ता का उचित मार्गदर्शन उसके विषय से सम्बन्धित साहित्य ही कर सकता है क्यों कि यह शाश्वत सत्य है कि पुस्तकें ही मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र हैं। विषय की गहराई तक पहंचने के लिए शोधकर्ता ने संबन्धित साहित्य के निष्कर्ष कि समीक्षा एवं अपने विषय से संबन्धित लेखन एवं आंकलन का ढाँचा तैयार किया जाता है।

कृ.पृ.उ.-3

रंगास्वामी और शशि कुमार (2011):- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत हुए कार्यों का राज्यवार तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार छत्तीसगढ़ एवं मध्य-प्रदेश में मनरेगा के तहत 50 परिवारों को लाभ मिला जिसका सीधा प्रभाव यहाँ के लाभन्वितों की आर्थिक स्थित पर पड़ा क्योंकि छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश दोनों

https://www.gapbhasha.org/

ही राज्यों में गरीबी राष्ट्रीय औसक से अधिक है। मनरेगा के तहत आवंटित राशि का उपयोंग सर्वाधिक मध्यप्रदेश, आध्रप्रदेश एवं राजस्थान में किया गया। तत्पश्चात् आवंटित राशि का उपयोंग उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं बिहार द्वारा किया गया।

नारायण (2014):- महाराष्ट्र में 2 जिलों के अंतर्गत 100 महात्मा गाँधी ''नरेगा'' के अंतर्गत संपन्न 4,100 निर्माण कार्यों और औचक चुने गए 4,800 लाभार्थियों पर सर्वेक्षण किया। अध्ययन में पाया गया कि 87 प्रतिशत कार्य प्रशासनिक आँकड़ों द्वारा वैध पाये गये थे। इसके अतिरिक्त अध्ययन में यह भी पाया गया कि मौजूद 75 प्रतिशत कार्य सीधे कृषि से जुड़े थे। इससे अधिक महत्वपूर्ण अत्यधिक रूप में 92 प्रतिशत लाभार्थियों ने कार्यों को बहुत उपयोगी या कुछ-कुछ उपयोगी बताया केवल 8 प्रतिशत प्रतिवादियों ने कार्यों को अनुपयोगी पाया। लेखक ने पाया कि लाभार्थियों का विचार था कि कार्यों्र का चयन समग्र नहीं था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 'महात्मा गाँधी नरेगा' के अंतर्गत संपन्न कार्य घेरे और सीमांत किसानों के लिए सहायक थे और पर्याप्त रूप से कृषि से संबन्धित थे। कार्यों का समग्र रूप से चयन करने की प्रक्रिया की सिफारिश करते हैं, जिसमें कार्यों की योजना बनाने में सभी कार्यों को शामिल किया जाए।

सवेस्टियन और अजीज (2014):- द्वारा 'महात्मा गाँधी नरेगा' के अंतर्गत सम्पूर्ण कार्यों और जैव-विविधता संरक्षण से इनकी संबद्धता की संभावना की तलाश की गई। लेखकों का न केवल यह मानना है कि 'महात्मा गाँधी नरेगा' के कार्यों से परिसम्पत्तियाँ सृजित हुई हैं बल्कि उन्होंने यह यह तर्क भी दिया कि इन्हें अनिवार्य रूप से जैव संरक्षण के बड़े एजेंडे के अंतर्गत लाया जाना

कृ.पृ.उ.-4

चाहिये। यह विश्लेषण इस बात की भी पैरवी करता है कि 'महात्मा गाँधी नरेगा' के अंतर्गत शुरू किये गए हरित कार्यों का वानरोपण, वनप्रांत और संबन्धित प्रचालनों तक सीमित करने

https://www.gapbhasha.org/

की आवश्यकता नहीं है। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से जैव-विविधता के संरक्षण के लिए एकीकृत किये जाने की आवश्यकता है।

शोध की प्रविधि:- प्रस्तुत शोध पत्र मुख्यतः द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, शोध में वर्णात्मक विधि का उपयोग किया गया है। द्वितीयक आंकड़े मुख्य रूप से किताबें, विभिन्न जनरल शोध-पत्रों, समाचार-पत्रों, ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट 'नरेगा पोर्टल' इत्यादि से लिये गये हैं।

शोध के उद्देश्य:- शोध के उद्देश्य निम्नलिखित है -

1- मनरेगा का रोजगार पर प्रभाव का अध्ययन।

2- मनरेगा का सामाजिक सशक्तिकरण पर प्रभाव का अध्ययन।

3- मनरेगा का गांवों में स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर प्रभाव का अध्ययन।

मनरेगा का मध्यप्रदेश पर व्यय:- मनरेगा पर होने वाले व्यय की बात की जाये तो राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 5 वर्षों 2019-20 से 2023-24 तक का जिसमें राष्ट्रीय स्तर में 8 वर्षों का व्यय (2014-15 से 2021-22) में कुल 4.78,443 करोड़ खर्च किया गया, जिसमें सबसे अधिक श्रमिकों के मजदूरी पर 3.31.104 करोड़ व्यय हुआ जो कुल व्यय का लगभग 70 (प्रतिशत) है। जबकि सामग्री और कुशल श्रमिकों पर कुल व्यय 1.25.081 करोड़ जो कुल व्यय का 26 प्रतिशत और प्रशासनिक व्यय 27.009 करोड़ जो कुल खर्च का लगभग 05 प्रतिशत है।

मध्य-प्रदेश में 2019-20 में 4718,94 तथा 2020-21 में आवंटन 3900 इसी क्रम में 2021-22 में 2925 इसी क्रम में 2022-23 में 2200 तथा 2023-24 में 2000 तथा 2024-25 में 2000, जिसमें मजदूरी दर हर वर्ष की अलग-अलग है- वर्ष 2019-20 में 176,रू., इसी तरह 2020-21 में 179,03 रू., 2021-22 में 195 रू., 2022-23 में 200 रू., तथा 2023-24 में 221 रू., तथा 2024-25 में 243 रू., की दर से मजूदरी प्रदान की गई।

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

कृ.पृ.उ.-5

//05//

<u>आय और रोजगार सृजन पर प्रभाव:-</u> 'महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना' ''नरेगा'' का उद्देश्य गरीबी, संवेदनशील और हाशिये के लोगों को आय और आजीविका की सुरक्षा का एक स्थायी स्त्रोत उपलब्ध करना है। इस संबन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी को दूर करने और समेकित प्रगति पर महात्मा 'महात्मा गाँधी नरेगा' के प्रभावों संबन्धी वर्तमान साहित्य की समीक्षा की गई है, जिससे यह माना जा सकता है कि योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितना हद तक सफल रही है। अब तक अध्ययनों से यह कहा जा सकता कि 'महात्मा गाँधी नरेगा' के द्वारा गावों में ग्रामीण परविारों को रोजगार उपलब्ध करा के उनकों अतिरिक्त आय को कमाने का अवसर दिया है। इस अतिरिक्त आय से न केवल आजीविका सुरक्षित हुई, बल्कि क्रय-शक्ति के साथ-साथ उनकी मोल-भाव करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

<u>महात्मा नरेगा तथा टिकाऊ संपत्ति की रचना:-</u> 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना' यानी 'मनरेगा' को लागू हुए 15 वर्ष हो गए हैं। 2006 में देश के सबसे गरीब 200 जिलों में इसकी शुरूआत हुई थी, 2008 के बाद पूरा देश इसके दायरे में आ गया। उम्मीद भी कि यह क्रांतिकारी कानून गांवों में फैली गरीबी को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगा और ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करेगा जो गांवों के विकास में दीर्घकाल तक मददगार साबित होगी। तमाम विसंगतियों के बावजूद मनरेगा से 15 वर्षों में लगभग 30 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों का सृजन किया गया है। मनरेगा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यापक स्तर पर श्रमिकों के जरिए गांवों में परसिंपत्तियों का निर्माण कराया गया। इस कानून के तहत 70 फीसदी काम जल संरक्षण के कार्य शामिल हैं। यही वजह है कि मनरेगा के पिछले 15 वर्षों में जिन कार्यों पर सबसे अधिक जोर दिया गया है उनमें जल संरक्षण और संचयन के कार्य प्रमुखता से शामिल है। दिल्ली स्थित शोध संस्थान Institute of economic growth के

https://www.gapbhasha.org/

निदेशक मनोज पांडा के अनुसार इस योजना के तहत करये जाने वाले कामों की बात है। ये ग्रामीण इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही

कृ.पृ.उ.-6

//06//

जल स्त्रोंतो के प्रबन्धन पर केन्द्रित रहा है। हाल के वर्षों में व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है, इनमें भी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण प्राथमिकता में हैं।

'मनरेगा' के अस्तित्व में आने के साथ ही वाटरशेड विकास जैसे प्राक्रतिक संसाधनों के प्रबन्धन पर काम करने की कोशिश की गई। हालांकि, साल 2009 में जारी गाइडलाइन में व्यक्तिगत जमीन पर परिसंपत्तियों विकसित करने को शामिल कर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन दायरे को बाढ़ से बचाव, सिंचाई की नहर, बाढ़ नियंत्रण और परंपरागत जलाशयों का पुनरोद्धार शामिल हैं। राजस्थान के मनरेगा आयुक्त पूर्णचन्द्र किशन ने कहा कि शुरू में 12 प्रकार के कार्यों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था, लेकिन अब 260 प्रकार के कार्य कराए जा सकते हैं। इनमें जल संरक्षण/जल संचयन ढांचा से बचाव, सिंचाई की नहर, बाढ़ नियंत्रण और परंपरागत जलाशयों का पुनरोद्धार शामिल है।

इन ढांचों के आकार को देखें तो 'मनरेगा' के तहत व्यक्तिगत और सामूहिक परिसंपत्तियों को बनाने से समाज और पर्यावरण पर कोई प्रभाव चट्टानें फैली हुई है, वहां वर्ष 2014-15 की अवधि में न केवल खेत-तालाबों से बल्कि छोटे रिसाव ताजाब, एनिकट, विभिन्न तरह के बांध और तालाबों से 2986 मिलियन क्यूबिक मीटर जल भंडारण क्षमता विकसित की गई तमाम विसंगतियों के बावजूद 'मनरेगा' से 15 वर्षों में लगभग 30 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों का सृजन किया गया।

कृ.पृ.उ.-7

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

देखें सारिणी- **State: MADHYA PRADESH**

Total individuals Worked [in Lakhs]	48.93	63.73	75.53	95.69	105.3
Differently abled persons worked	41255	53609	60821	72182	8159(

III Works

Number of GPS with nil exp	26 26	3	190	368	362
Total No. Works tekenup [New+spilln-over] [in lakhs]	9.92	14.25	21.64	20.79	16.19
Number of ongoing works [In Lakhs]	6.36	6.46	11.14	13.78	8.91
Number of Completed Works	3,55,767	7,79,035	10,49,674	7.00.663	7.27.951
% of NRM Exp. In MWC Blocks	41.68	38.41	57.94	64.74	0
% of Category B Works	62.2	65.66	75.96	69.47	64.31
% of Expenditure on Agriculture & Agriculture Allied Works	26.09	24.49	81.4	75.66	0

IV Financial Progrss

Total center Release in Lakhs	563995.65	589652.62	576396.54	857630.27	922540.24
Total Availability In Lakhs	631154.31	675889.59	709040.74	939381.22	1011090.8
Percentage Utilization	90.35	105.51	109.92	85.56	90.41
Total Exp(Rs. in Lakhs)	5,70,273.74	7,13,149.08	7,79,366.85	8,03,767,5	9,14,164.6
Wages(Rs. In Lakhs	3,25,442.44	4,17,878.01	4,52,579.11	5,50,437.49	6,08,057.8
Material and skilled Wages(Rs.InLakhs)	1,95,738.25	2,44,512.65	2,90,270.43	2,21,971.41	2,54,442.4
Material(%)	37.56	36.91	39.08	28.74	29.5
Total Adm Expenditure (Rs in Lakhs)	49,093.04	50,758.43	36,517.31	31,558.6	51,664.4
Admin Exp(%)	8.61	7.12	4.69	3.9	5.65
Average Cost Per Day PerPerson(InRs.)	380.3	329.4	282.2	240.8	253.16
% of Total Expenditure through EFMS	99.98	99.88	9908	99.75	99.96
payments gererated within 15 days	99.95	99.78	98..5	98.69	98.92

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

कृ.पृ.उ.-8

//08//

निष्कर्ष:- कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जब उद्योग -धन्धे, बाजार दुकानें और काम सब बंद हो गए। करोड़ों कामगार मजदूर परिवार मायूश होकर अपने गांवों और घरों की ओर लौटे, शहरों में कमाई का जरिया बंद होने के कारण जेबें खाली थी। ऐसे संकट के कठिन समय में महात्मा गांधी नरेगा न उनके व उनके परिवार के लिए रोजगार व कमाई की जरिया बना।

मनरेगा देश के कमजोर और गरीब परिवारों की आय और उपभोग को बेहतर बनाया है। इसलिये निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से गांवों में रोजगार के अवसर प्रदान करके, गरीब परिवारों के उपभोग स्तरों को बढ़ाने में सफल रहा। मनरेगा ग्रामीण परिवारों विशेष कर महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महात्मा गांधी नरेगा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक को हाल ही में स्वीकार किया गया है, जिसमें जैव-विविधता, संरक्षण को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग में कराये गए अनुसंधान से निष्कर्ष निकलता है कि, महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों के माध्यम से ग्राम संभावों में परिसंपत्तियों के सृजन के अनेक उद्देश्य की पुष्टि करते हैं।

सुझाव:- जल और भूमि से संबन्धित महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों की बहुलता, पर्यावरणीय हित, लाभ और अति संवेदनशीलता में कमी आई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना ने भूमिगत जल स्तर को सुधारने या उसे बनाऐ रखने, सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ाने, सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने और अंततः मानव और पशुओं के लिए पेयजल की उपलब्धता में सुधार लाने में भागीदारी की है। भारतीय विज्ञान संस्थान ने टिप्पणी की है कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियां स्थायी हैं। अर्थात् कार्य की तकनीकी गुणवत्ता भले ही कैसी हो, तब भी परिसंपत्तियों उपयोगी होंगी और पर्यावरण के लिए हितकारी होंगी।

जब देश में लॉकडाउन व मंदी से अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक हो, गामीण क्षेत्रों में रोजगार का आभाव हो, एंसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी

https://www.gapbhasha.org/

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की अधिक आवश्यकता है। जबकि केन्द्र सरकार ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना दिया जाना चाहिए था। कई राज्यों को आज भी शिकायत है कि मनरेगा के तहत केन्द्र की ओर से उनके हिस्से का पूरा बजट ही नहीं मिला!

//09//

देश की जानी मानी अर्थशास्त्री जयति घोष का मानना है कि देश के ग्रामीण स्तर पर मनरेगा अपने आप में बड़ी कामयाब योजना रही है। ऐसे में जब देश मंदी की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे समय में मनरेगा पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवशयकता है!

संदर्भ ग्रंथ

[1] सेन, अमर्त्य द्रेज, ज्यों (2019) भारत और उसके विरोधाभास, राजकमल प्रकासन प्रा.लि. नई दिल्ली, पेज नं. 205-207।

[2] जालान विमल, भारत की अर्थनीति, 21वीं सदी और राजकमल प्रकाशन प्रा0लि0 नई दिल्ली 2003।

[3] रंगरातन, भारती की अर्थनीति, नये आयाम राजपाल प्रकाशन एण्ड सन्स IBSN:978, 81,

[4] 7028,303.4 नई दिल्ली 2010,।

[5] सेन. अमर्त्य, गरीबी और आकाल, ताजपाल प्रकाशन एण्ड सन्स, IBSN:978, 81,

[6] 7028,303.4 नई दिल्ली।

[7] जलान, विमल, भारत का भविष्य, राजनीति, अर्थशास्त्र और शासन, पेगुइन बुक्स प्रा.लि,

[8] IBSN: 9780 1431, 0367.7 गुड़गांव, हरियाणा।

[9] द्रेज. ज्यां (2019) झोलावाला अर्थशास्त्र, वाणी प्रकाशन, भारत में सामाजिक विकास की रीति-नीति, IBSN: 978 , 93, 789563, 58.0, नई दिल्ली. 2020।

[10] दत्त पी., आर. मुर्रगई, एम. रैवेलियन और डी. वल्ले (2012) क्या भारत की रोजगार गारंटी स्कीम रोजगार गारंटी देती है? इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली XLVII (16)।

[11] दत्ता, पूजा और अन्य (2014) कार्य करने का अधिकार बिहार में भारत की रोजगार गारंटी स्कीम का मूल्यांकन करते हुए। वाशिंगटन डीसी: विश्व बैंक।

[12] लयू, वाई. और सी बेरट (2012) भारत की महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम में असंगत गरीब समर्थक लक्ष्य निर्धारण, दिल्ली: आईएफपीआरआई।

[13] भास्कर, अंजोर और पंकज यादव (2015) अंत भला तो सब भला: झारखण्ड में महात्मा गांधी नरेगा कुओं का आर्थिक मूल्यांकन, मानव विकास संस्थान, रांची झारखण्ड, (2015) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को प्रस्तुत रिपोर्ट।

[14] सिन्हा, बी. (2013) महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत सृजित परिसंपत्तियों की संभरणीयता को बढ़ाने की गुंजाइश की पहचान करना। भोपाल: भारतीय वन प्रबन्धन संस्थान।

[15] मनरेगा समीक्षा-2, 2012-14, ग्रमीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

मनरेगा के तहत ग्रामीण आजीविका पद्धतियों का डिजिटल अभिलेखीकरण: संकटग्रस्त क्षेत्रों में पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण

डॉ. रेणु शरण, विवेक राम

निर्देशक
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग
डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश (Abstract) –

भारत का ग्रामीण जीवन केवल आर्थिक क्रियाकलापों का समुच्चय नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक धरोहर, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक पहचान का केंद्र है। कृषि पद्धतियाँ, जल संरक्षण तकनीक, हस्तशिल्प, लोकगीत, और ग्रामीण सामुदायिक श्रम प्रणाली पीढ़ियों से विकसित होकर आज तक चली आ रही हैं। किंतु प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन, विस्थापन, शहरीकरण और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण यह पारंपरिक ज्ञान और पद्धतियाँ तेजी से समाप्त हो रही हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का मूल उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराना है, लेकिन इसके साथ-साथ यह ग्रामीण जीवन के सांस्कृतिक और आजीविका स्वरूप को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने की दिशा में भी योगदान दे सकता है। डिजिटल अभिलेखीकरण (Digital Archiving) की अवधारणा यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से ग्रामीण आजीविका से जुड़े कार्यों, पारंपरिक तकनीकों, लोककथाओं, और स्थानीय संसाधन प्रबंधन प्रणालियों का डिजिटली दस्तावेजीकरण किया जा सकता है।

यह शोध-पत्र संकटग्रस्त क्षेत्रों—जहाँ प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, संघर्ष या विस्थापन आम है—में मनरेगा के माध्यम से डिजिटल अभिलेखीकरण की संभावनाओं और आवश्यकता का विश्लेषण करता है। अध्ययन में पाया गया कि मनरेगा परियोजनाओं में डिजिटल रिकॉर्डिंग, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, फोटो आर्काइव, वर्चुअल प्रदर्शनी, और ई-डेटाबेस निर्माण को शामिल करने से न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत भी संरक्षित रहेगी।

शोध से यह स्पष्ट होता है कि यदि राज्य और स्थानीय निकाय मनरेगा कार्यों में डिजिटल अभिलेखीकरण को एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल करें, तो यह "रोजगार + संस्कृति संरक्षण" की एक नई नीति का रूप ले सकता है। इस पेपर में विभिन्न केस स्टडी, मौजूदा चुनौतियाँ, और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे यह पहल जमीनी स्तर पर लागू हो सके।

1. परिचय

भारत का ग्रामीण समाज विविध परंपराओं, रीति-रिवाजों और ज्ञान प्रणालियों का संगम है। यहाँ की आजीविका प्रणाली केवल आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति, सामाजिक संरचना और सामूहिक पहचान का हिस्सा भी है। कृषि, पशुपालन, बुनाई, हस्तकला, मिट्टी के बर्तन बनाना, जल संरक्षण तकनीकें—ये सभी परंपरागत आजीविका पद्धतियाँ सदियों से प्रचलित हैं।

21वीं सदी में जहाँ तकनीकी क्रांति और वैश्वीकरण तेजी से फैल रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह पारंपरिक ज्ञान धीरे-धीरे समाप्त होने के खतरे में है। खासकर संकटग्रस्त क्षेत्रों में, जहाँ बाढ़, सूखा, विस्थापन या संघर्ष जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, वहाँ यह समस्या और गंभीर हो जाती है।

मनरेगा, एक रोजगार गारंटी योजना के रूप में, ग्रामीण गरीबों को काम देने के साथ-साथ ऐसे कार्यों को भी प्रोत्साहित करती है जो स्थानीय संसाधनों और आजीविका को मजबूत करें। यदि इस योजना में डिजिटल अभिलेखीकरण को जोड़ा जाए, तो यह ग्रामीण संस्कृति संरक्षण का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है।

---

2. मनरेगा और ग्रामीण आजीविका: एक अवलोकन

मनरेगा का उद्देश्य – हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिनों का मजदूरी आधारित रोजगार देना।
ग्रामीण विकास में योगदान – जल संरक्षण, सिंचाई सुविधा, सड़क निर्माण, वनीकरण, और भूमि सुधार।
आजीविका से जुड़ाव – मनरेगा कार्य स्थानीय जरूरतों और परंपरागत संसाधनों पर आधारित होते हैं, जैसे तालाब की खुदाई, नहर की मरम्मत, चारागाह का विकास।

3. पारंपरिक ग्रामीण ज्ञान एवं संस्कृति का महत्व

जल प्रबंधन की पारंपरिक विधियाँ – कुएँ, बावड़ी, तालाब, नहरें।
कृषि पद्धतियाँ – मिश्रित खेती, जैविक खाद, बीज संरक्षण।
हस्तशिल्प और शिल्पकला – बुनाई, मिट्टी के बर्तन, लोक आभूषण।
सामुदायिक श्रम परंपरा – 'श्रमदान' और सामूहिक निर्माण कार्य।

https://www.gapbhasha.org/

4. संकटग्रस्त क्षेत्रों में आजीविका की चुनौतियाँ

प्राकृतिक आपदाओं से बुनियादी ढाँचे का नष्ट होना।
विस्थापन के कारण परंपरागत पेशों का टूटना।
नई पीढ़ी का शहरी पलायन।
तकनीकी दस्तावेजीकरण की कमी से ज्ञान का लुप्त होना।

5. डिजिटल अभिलेखीकरण की अवधारणा और प्रासंगिकता

परिभाषा – पारंपरिक और वर्तमान जानकारी, दस्तावेज, ऑडियो-वीडियो सामग्री को डिजिटल रूप में सहेजना।
प्रासंगिकता –
भविष्य के लिए सुरक्षित संग्रह
शोध एवं शिक्षा में उपयोग
वैश्विक स्तर पर पहुँच

6. मनरेगा के तहत डिजिटल अभिलेखीकरण की संभावनाएँ

मनरेगा परियोजनाओं के दौरान कारीगरों, किसानों, और श्रमिकों के कार्य का फोटो-वीडियो दस्तावेजीकरण।
पारंपरिक कृषि और जल प्रबंधन विधियों का डिजिटल डेटाबेस बनाना।
वर्चुअल संग्रहालय या डिजिटल प्रदर्शनी का निर्माण।
मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से गाँव-गाँव की आजीविका कहानियों को सहेजना।

7. केस स्टडी

केस 1 – मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला
यहाँ मनरेगा के तहत जल संरक्षण कार्य के दौरान पारंपरिक 'झिरी तालाब' निर्माण की तकनीक को रिकॉर्ड कर डिजिटल संग्रहालय में जोड़ा गया। इससे रोजगार भी मिला और स्थानीय तकनीक संरक्षित भी हुई।

केस 2 – ओडिशा का कालाहांडी
मनरेगा कार्यों के दौरान आदिवासी हस्तशिल्प और बाँस शिल्पकला को वीडियो डॉक्यूमेंटरी के रूप में सहेजा गया, जो आज ऑनलाइन प्रदर्शनी का हिस्सा है।

8. चुनौतियाँ और सीमाएँ

डिजिटल तकनीक और इंटरनेट की कमी।
प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव।
वित्तीय संसाधनों की कमी।
डिजिटल डेटा का दीर्घकालिक संरक्षण।

9. समाधान और नीतिगत सुझाव

मनरेगा गाइडलाइनों में डिजिटल अभिलेखीकरण को अनिवार्य प्रावधान बनाना।
हर जिला स्तर पर "डिजिटल आर्काइव सेल" का गठन।
स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर अभिलेखीकरण कार्य में लगाना।
अभिलेखीकरण को रोजगार के 100 दिनों में शामिल करना।

10. निष्कर्ष

मनरेगा केवल रोजगार गारंटी का साधन नहीं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान संरक्षण का प्रभावी मंच भी बन सकता है। डिजिटल अभिलेखीकरण के माध्यम से हम इन धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचा सकते हैं। यदि राज्य और केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस नीति बनाएं, तो यह पहल ग्रामीण विकास और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

संदर्भ सूची

[1] भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम: परिचय एवं दिशा-निर्देश", 2023।
[2] Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford University Press, 1999.
[3] Mishra, S. (2020). Rural Livelihoods and MGNREGA. Sage Publications.
[4] UNESCO. (2015). Digital Heritage and Preservation.
[5] Government of India, Ministry of Culture, National Mission on Monuments and Antiquities.

https://www.gapbhasha.org/